



**The Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University Act,
2014**

Act 5 of 2014

Keyword(s):

Medical Science, Medical Education, DCI, INC, UPC, Hemwati Nandan Bahuguna, Medical, University

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 18 फरवरी, 2014 ई0
माघ 29, 1935 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 72/XXXVI(3)/2014/07(1)/2014

देहरादून, 18 फरवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014” पर दिनांक 17 फरवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

चिकित्सा शिक्षा के विकास और उन्नयन के लिए उत्तराखण्ड में चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए—

अधिनियम

अध्याय —एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का नाम हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें 2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अधिनियम में—

(क) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "उत्तराखण्ड" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ग) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) "कुलाधिपति" का आशय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल से अभिप्रेत है;

(ङ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत है;

(च) "चिकित्सा विज्ञान" से इसकी सभी शाखाओं में आधुनिक वैज्ञानिक औषध, सम्बन्धित निवारक, सम्पर्वतन रोग मुक्ति और पुनर्वास सेवाएं अभिप्रेत हैं और इसमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान, भेषज, दन्त विज्ञान, नर्सिंग, परा चिकित्सा और अन्य सम्बन्धित विषय सम्मिलित है ;

(छ.) "चिकित्सा शिक्षा" से एम०सी०आई०/ डी०सी०आई०/ आई०एन०सी०/यू०पी०सी० इत्यादि द्वारा संचालित शोध और प्रशिक्षण के समस्त पाठ्यक्रम/कार्यक्रम अभिप्रेत है पाठ्यक्रम/कार्यक्रम निम्नवत् हैं:-

(अ) एम०बी०बी०एस०-बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी,

(ब) बी०डी०एस०- बैचलर ऑफ डेन्टल सर्जरी,

(स) एम०डी०- डॉक्टर ऑफ मेडिसिन,

(द) एम०एस०- डॉक्टर ऑफ सर्जरी,

(य) एम०डी०एस०-मास्टर्स इन डेन्टल सर्जरी,

(र) अध्ययन के विभिन्न विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(ल) सम्बन्धित नियामक प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अधिसूचित प्रमाण पत्र/कोई अन्य पाठ्यक्रम

(व) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न पाठ्यक्रम

(श) उत्तराखण्ड राज्य परा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न पाठ्यक्रम।

(ज) "एम०सी०आई०" से भारत की चिकित्सा परिषद अभिप्रेत है;

(झ) "विहित" से इस अधिनियम अथवा सरकार द्वारा अथवा विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ट) "महाविद्यालय" से इस अधिनियम और विनियमों के अनुसरण में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई महाविद्यालय अथवा कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ठ) "विश्वविद्यालय क्षेत्र" से विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र अभिप्रेत है;

- (ड) "विश्वविद्यालय परिसर महाविद्यालय" से इस अधिनियम के अनुसरण में जैसा विहित किया जाये, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने तथा उसके साथ सम्बद्ध अस्पताल सम्मिलित है, से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित अभिप्रेत है;
- (ढ) "सम्बद्ध महाविद्यालय" इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य अथवा विश्वविद्यालय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय अथवा संस्था अभिप्रेत है;
- (ण) "स्वायत्त महाविद्यालय" इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में घोषित कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (त) "संगठक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित और अधिनियम/विनियमों द्वारा इस रूप में घोषित कोई संस्था अभिप्रेत है;
- (थ) "विद्यमान महाविद्यालय" से स्थापित विश्वविद्यालय अथवा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अधीन अनुरक्षित और संचालित कोई महाविद्यालय अथवा कोई संस्था अभिप्रेत है जिसमें चिकित्सा शिक्षा का अध्यापन किया जा रहा है;
- (द) "अनुमोदित संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा किसी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कोई अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति यदि विश्वविद्यालय की शैक्षिक उत्कृष्टता अथवा कोई डिग्री, डिप्लोमा के आवंटन से पूर्व अध्ययन के पाठ्यक्रम के द्वारा अपेक्षित हो, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;
- (ध) "प्राचार्य" से महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाय और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है, उस रूप में

प्राचार्य का कार्य करने वाला तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति और प्राचार्य की अनुपस्थिति में अथवा कार्यरत अथवा इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्राचार्य का प्राचार्य के रूप में कार्य करना सम्मिलित है;

(न) "विश्वविद्यालय का छात्र" विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में प्रविष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(प) "अध्यापक" में चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्था में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और पूर्णकालिक आधार पर निर्देश देने वाला ऐसा कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(फ) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में निर्देश देने के प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ब) "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" से उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है और राज्य के उपबंधों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य है;

(भ) "दन्त चिकित्सा शिक्षा परिषद" से भारत की दन्त शिक्षा परिषद अभिप्रेत है;

(म) "नर्सिंग शिक्षा परिषद" से भारत की नर्सिंग शिक्षा परिषद अभिप्रेत है;

(य) "पराचिकित्सा शिक्षा परिषद" से उत्तराखण्ड की पराचिकित्सा परिषद अभिप्रेत है;

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

- विश्वविद्यालय की 3. (1) सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिता के साथ हेमवती नन्दन स्थापना और निगमन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ज्ञात नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय राज्य के सभी चिकित्सा/दन्त/पराचिकित्सा और नर्सिंग

महाविद्यालयों को सम्बद्धता देगी और स्वयं के स्रोतों से परास्नातक और अतिविशिष्ट विशेषज्ञता वाले पाठयक्रमों को सम्बन्धित परिषद/केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिकथित शर्तों और मानकों के अनुसार प्रारम्भ करेगी। विश्वविद्यालय स्वयं के स्रोतों से शोध और अनुसन्धान का कार्य भी संचालित करेगी।

(3) विश्वविद्यालय मूल रूप से सम्बद्धक विश्वविद्यालय होगा।

परन्तु, राज्य सरकार/भारतीय चिकित्सा परिषद (एम0सी0आई0) की मान्यता के उपरान्त विश्वविद्यालय अपना परिसर भी स्थापित कर सकेगा एवं सम्बद्ध राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को यथा आवश्यकतानुसार अपना परिसर घोषित कर सकेगा।

क्षेत्राधिकार और 4. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार के साथ करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को राज्य में चिकित्सा विज्ञान संचालित करने वाला प्रत्येक महाविद्यालय अथवा संस्था अनिवार्य रूप से पुनः सम्बद्धता के लिए मात्र इसी विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा निश्चित अवधि के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। राज्य में कोई महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता लिये बिना संचालित नहीं किया जा सकेगा, न ही नये छात्रों को प्रवेश देगा।

परन्तु यह कि इस अधिनियम के ऐसी प्रारम्भ की तारीख को किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में चिकित्सा विज्ञान में अध्ययनरत कोई छात्र जिसे पूर्व विश्वविद्यालय के अधीन ऐसा अध्ययन चालू रखने और पूर्ण करने के लिए ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अर्ह और अनुमति होगी तथा पूर्व विश्वविद्यालय ऐसे छात्र की परीक्षा ले सकेगा और डिग्री अथवा कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान कर सकेगा।

(3) दून मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

विश्वविद्यालय की 5. इस अधिनियम के उपबंधों और इस अधिनियम द्वारा ऐसी शर्तें जैसी शक्तियां और कृत्य विहित की जाय के अध्याधीन विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होगी, जो केन्द्रीय अधिनियमों तथा भारतीय चिकित्सा परिषद/दन्त

चिकित्सा शिक्षा परिषद/भारतीय नर्सिंग शिक्षा परिषद एवं उत्तराखण्ड राज्य परा चिकित्सा परिषद आदि के अधीन रहेंगी, अर्थात् -

(एक) विहित रीति से प्राप्त छूट के सिवाय किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण करने तथा विश्वविद्यालय की विहित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अथवा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाय संतोषजनक शोध कार्य करने वाले व्यक्ति को डिग्री, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं संस्थित और प्रदान करना,

(दो) परीक्षाएं संचालित करना और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा विहित की जाय अथवा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना,

(तीन) विश्वविद्यालय के उददेश्यों के क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय, अस्पताल और प्रयोगशालाओं तथा शोध की इकाईयों, पुस्तकालयों और अन्य इकाईयों को संस्थित, अनुरक्षित और प्रशासन करना,

(चार) महाविद्यालयों और संस्थाओं को सम्बद्ध करना और ऐसी सम्बद्धता को वापस लेना,

(पांच) स्कोलरशिप, स्टूडेंटशिप, स्टाइपेण्ड, मेडल और पुरस्कारों को संस्थित तथा प्रदान करना,

(छः) विश्वविद्यालय के छात्रों पर ऐसे नियंत्रण का प्रयोग करना जिससे उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और अनुशासन तथा सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों पर उसी प्रयोजन के लिए सम्बद्ध महाविद्यालय के माध्यम से नियंत्रण करना,

(सात) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को सभी स्थावत सम्पत्तियों के अन्तरण का प्रबंधन और नियंत्रण करना,

(आठ) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, यूजीसी, एम0सी0आई, अन्य राष्ट्रीय परिषद अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी

अन्य रीति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रायोजित चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार से संबंधित कोई अन्य कार्य अथवा अनुसन्धान के लिए प्राप्त कोई अनुदान को स्वीकार, धारण और प्रबंधन करना,

(नौ) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य निगमित संस्थाओं से ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय प्रतिभूति सहित अथवा उसके बिना धनराशि का ऋण प्राप्त करना,

(दस) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति एवं विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा यथानियत ऐसा शुल्क को अवधारित करना और उसकी मांग तथा उसे जमा करना,

(ग्यारह) स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित श्रेणियों और अनुसन्धान के कार्य को प्रकाशित करना,

(बारह) अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना,

(तेरह) विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शोध केन्द्र, म्यूजियम और प्रेस तथा प्रकाशन केन्द्र की स्थापना और अनुरक्षण

(चौदह) शोध पदों की स्थापना और ऐसे पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना

(पन्द्रह) स्थायी अनुमोदित विन्यास के आधार पर योग्य छात्राओं को पुरस्कार और मैडल प्रदान करना

(सोलह), विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए जैसा कि ठीक अथवा आवश्यक समझा जाय साधारणतया ऐसे कृत्य अथवा ऐसे अन्य उपबंध करना

(सतरह), चिकित्सा शिक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध उपलब्ध कराना तथा उन्नयन करना और उद्योगों के साथ निकट

सहयोग के साथ चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन के लिए आपसी सहयोग और उपयुक्त वातावरण तैयार करना,

(अठारह), किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करना अथवा सम्बद्ध किसी महाविद्यालय को विशेषाधिकारों को बढ़ाना अथवा ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना अथवा न्यून करना और ऐसे महाविद्यालयों के कार्यों को निर्देशित तथा नियंत्रित करना,

(उन्नीस), ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना और डिग्री अथवा अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान और संसथित करना जो

(एक) महाविद्यालय में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हैं अथवा -

(दो) विनियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा उसके ओर से कोई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में शोध कार्य कर रहा हो।

(बीस) शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और समुदायों के मध्य चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन के लिए उपबंध करना,

(इक्कीस) (एक) एनसीसी अथवा अन्य समान संगठन का अनुरक्षण,

(दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण तथा

(तीन) खेल और एथेलेटिक क्लब के लिए उपबंध करना

(बाईस) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना,

(तेईस) महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए शर्तों का अधिकथन और स्वयं की समाधान के लिए ऐसी शर्तों की संतुष्टि हेतु अध्यावदिक निरीक्षण करना,

(चौबीस) समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित ऐसे

प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग अथवा समन्वय करना,

(पच्चीस) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पाठयक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना,

(छब्बीस) अन्य ऐसे सभी कृत्य अथवा अन्य कार्य करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों।

क्षेत्राधिकार और प्रवेश के विशेषाधिकार

6. (1) उत्तराखण्ड राज्य में कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय की सहमति और सरकार की स्वीकृति के बिना चिकित्सा विज्ञान में किसी रीति से अथवा भारत अथवा विदेशी कोई अन्य विश्वविद्यालय से प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेगा।
- (2) राज्य में अवस्थित चिकित्सा विज्ञान के किसी महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा नियत तिथि से पूर्व किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई ऐसी प्राप्त विशेषाधिकार ऐसी तारीख से प्रत्याहरित समझी जायेगी।
- (3) उस तारीख तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से चिकित्सा विज्ञान के समस्त महाविद्यालय और स्वायत्त संस्थाएं जो पूर्व में राज्य के कुमाऊँ और गढ़वाल अथवा अन्य कोई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा विशेषाधिकार प्राप्त थे, इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धों के अधीन इस विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त अथवा सम्बद्ध समझे जायेंगे।

विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला रहेगा

7. (1) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी पद अथवा उसके प्राधिकरणों की किसी सदस्यता अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं अथवा अध्ययन के पाठयक्रम में लिंग, जाति, वर्ग, वंश, जन्मस्थान, धार्मिक विश्वास अथवा राजनीति अथवा अन्य राय के फलस्वरूप विलग नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय सरकार की पूर्व अनुमति के

अध्यधीन विशिष्टतय महिलाओं के लिए कोई विशेष महाविद्यालय अनुरक्षित और सम्बद्ध कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय सरकार के विशिष्ट अथवा सामान्य आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग, के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा नियंत्रित किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में छात्र के रूप में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए सीट आरक्षित कर सकेगी,

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण में सरकार के मानकों से आच्छादित होंगे,

(3) विश्वविद्यालय जाति, वंश, वर्ग, भाषा इत्यादि के इतर सभी के लिए खुला रहेगा,

परन्तु यह कि इस धारा से यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय किसी अध्ययन के पाठयक्रम में विनियमों में अवधारित छात्रों की संख्या से अधिक संख्या में प्रवेश नही कर सकेगी।

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय इस धारा से यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों से सम्बन्धित छात्रों के प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबंध करने से रोकती है।

अध्याय— तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के 8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्—
अधिकारी

(एक) कुलाधिपति,

(दो) कुलपति,

(तीन) कुलसचिव,

(चार) परीक्षा नियंत्रक,

(पांच) वित्त अधिकारी,

(छः) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी और लिपिकीय कर्मचारी वर्ग जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाय।

कुलाधिपति

9. (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे और जब वह उपस्थित होंगे विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को कुलाधिपति के अनुमोदन के बिना कोई मानद डिग्री संस्थित नहीं की जायेगी।

(4) कुलाधिपति को नियंत्रण, विनियमन, निर्देश, आदेश देने की अधिकारिता होगी और यदि आवश्यक हुआ तो अपरिहार्य परिस्थितियों के मामलों में विश्वविद्यालय का प्रशासन भी कर सकेंगे तथा उसके निर्देश विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालित और माने जायेंगे। जब कभी वह उचित समझे स्वतः विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई का प्रारम्भ और जांच भी कर सकेंगे।

(5) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा जैसा उसे इस अधिनियम के अधीन अथवा सरकार द्वारा दिये जाय।

(6) विश्वविद्यालय के मामलों के प्रशासन से संबंधित अभिलेखों की ऐसी सूचना जैसा कुलाधिपति द्वारा मांग की जाय, उपलब्ध कराने का दायित्व कुलपति का होगा।

कुलपति

10. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक शैक्षिक अधिकारी होगा।

(2) उच्चस्तरीय योग्य, सत्यनिष्ठा, आचरण और संस्था के प्रति जवाबदेह व्यक्ति कुलपति नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त किये जाने वाला कुलपति विशिष्ट विद्वत न्यूनतम चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रकिया में प्रोफेसर

के पद पर 10 वर्ष का अनुभव अथवा चिकित्सा विज्ञान के प्रतिष्ठित संगठन में समकक्ष स्थिति में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(3) कुलपति का चयन समुचित चिन्हांकन के माध्यम से सर्च समिति द्वारा 3 से 5 व्यक्तियों के पैनल से एक लोक अधिसूचना अथवा भिन्न सर्च प्रक्रिया अथवा दोनों से किया जायेगा। उपर्युक्त सर्च समिति का गठन इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (4) के अनुसार रहेगा। जब पैनल तैयार किया जाय, सर्च समिति लिखित में विशिष्ट विद्वत, देश अथवा विदेश में चिकित्सा शिक्षा पद्धति में अनुभवी और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक प्रशासन में समुचित अनुभव वाले व्यक्ति को उपयुक्त वरीयता देते हुए कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) सर्च समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया जायेगा, अर्थात्—

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन इस सर्च समिति के अध्यक्ष होंगे — अध्यक्ष

(ख) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ अथवा निदेशक पी०जी०आई० चंडीगढ़/लखनऊ अथवा निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र के ख्यातिप्राप्त व्यक्ति में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति — सदस्य

(ग) राज्य के चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख सचिव अथवा सचिव इस समिति के समन्वयक एवं सदस्य सचिव होंगे — सदस्य सचिव

(5) कुलपति कुलाधिपति द्वारा सर्च समिति द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों के पैनल में से नियुक्त किया जायेगा। पैनल उपधारा (4) के अधीन गठित समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा,

परन्तु यह कि—

- (क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
- (ख) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- (ग) यदि कुलाधिपति समिति द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों में से किसी एक अनुमोदित नहीं करता है अथवा इस प्रकार संस्तुत किया गया व्यक्ति नियुक्त को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है तो कुलाधिपति समिति से नयी प्रस्तुत दिये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।
- (6) कुलपति कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त कुलपति के पद पर कुल दो अवधि से अधिक कार्य नहीं कर सकेगा, परन्तु यह और कि किसी कुलपति को दुर्व्यवहार, कुप्रबन्धन, अयोग्यता अथवा अन्य किसी कारण से कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश से नियुक्त उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सम्यक जांच के पश्चात् ही हटाया जा सकेगा। कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा।
- (7) जब अवकाश, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से कुलपति का पद अस्थायी रूप रिक्त हो तो कुलाधिपति कुलपति के दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रथमतः 6 माह तथा अधिकतम दो बार के लिए अस्थायी व्यवस्था कर सकेगा। अंतरिम व्यवस्था के दौरान स्थायी कुलपति की नियुक्ति अनिवार्य रूप से कर ली जायेगी।
- (8) कुलपति की सेवाओं की परिलब्धियां और अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, परन्तु यह कि कुलपति की सेवाओं की परिलब्धियों और अन्य शर्तों में उसके पदभार के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जा सकेंगे।

कुलपति की शक्तियां और कृत्य

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का कार्यकारी और शैक्षिक प्रधान अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का प्रयोग करेगा तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के समस्त निर्णयों को प्रभावी करेगा। वह विश्वविद्यालय में अनुशासन के सम्यक अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (2) कुलपति यदि उसकी राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता हो तो इस अधिनियम अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे मामले में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना ऐसे प्राधिकारी को देगा, परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी है तो वह कुलाधिपति को इसे संदर्भित करेगा जिसमें उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- (3) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा अधिनियम द्वारा विहित किया जाय।
- (4) कुलपति कार्य परिषद और शैक्षिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और वह लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को उक्त बैठक में अध्यक्षता करने की शक्ति को प्रतिनिधानित कर सकेगा। वह शैक्षिक परिषद तथा वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति के अनुपस्थित में समिति की अध्यक्षता करेगा।
- (5) कुलपति इस अधिनियम, विनियम और नियमों के उपबंधों का विश्वासपूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा।
- (6) कुलपति कार्य परिषद को वार्षिक वित्तीय आंकलन और वार्षिक लेखों तथा तुलन पत्र को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) कुलपति विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन तथा शैक्षिक,

अनुसन्धान तथा ज्ञान की निश्चितता और आपसी सहयोग के लिए उत्तरदायी होगा ।

(8) कुलपति विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का प्रधान शैक्षिक अधिकारी होगा ।

(9) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों का प्रभावी अनुपालन करेगा ।

(10) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(11) विश्वविद्यालय के अनुशासन को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(12) वह सम्यक समय पर प्रवेश तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं को समुचित रूप से चलाने तथा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा । तथा ऐसी परीक्षाओं का परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित करने तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ और समापन सम्यक तारीखों पर सुनिश्चित करेगा ।

(13) कुलपति शैक्षिक परिषद, कार्यकारी परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा ।

(14) कुलपति को विश्वविद्यालय की किसी अन्य प्राधिकारी अथवा निकाय की बैठकों में प्रतिभाग करने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु इस उपधारा के प्रयोजन के लिए उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(15) कुलपति की यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का विश्वासपूर्वक पालन किया जा रहा है, और वह कुलाधिपति की शक्तियों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनकी ओर से आवश्यक सभी शक्तियों को धारण करेगा ।

(16) कुलपति को कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और वित्त समिति की बैठकों को आयोजित करने अथवा उसकी बैठकों में प्रतिभाग करने की शक्ति होगी,

परन्तु यह कि वह ऐसी शक्ति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेगा।

- (17) जहां कोई मामला त्वरित प्रकृति का है और तुरन्त कार्यवाही करने की अपेक्षा है और इस अधिनियम अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सशक्त किसी अधिकारी अथवा किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय द्वारा तुरन्त कार्यवाही नहीं की जा सकती है तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे तथा उसके द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तुरन्त कुलाधिपति को देगा और साथ ही ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को जो उसे साधारणतया करने के लिए उत्तरदायी था, को देगा,

परन्तु यह कि ऐसी कोई कार्यवाही यदि वह विनियमों के उपबंधों से विचलित हो तो, कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय की राय में यह है कि ऐसी कार्यवाही पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को संदर्भित किया जायेगा, जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि करेगा अथवा उसे समाप्त कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपांतरित कर सकेगा जैसा ठीक समझे और तदपरान्त ऐसे प्रभाव को समाप्त किया जा सकेगा अथवा जैसी स्थिति हो उपांतरित रूप में प्रभावी किया जा सकेगा, किन्तु ऐसी समाप्ति अथवा उपांतरण से पूर्व में की गयी कार्यवाही अथवा कुलपति के आदेश की वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी,

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवाओं का कोई व्यक्ति जो कुलपति के द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो इस उपधारा के अधीन ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उसे संसूचित कार्यवाही के निर्णय के दिनांक से तीन महीने के भीतर कार्य

परिषद् में अपील करने का अधिकार होगा और तदपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही पर कार्यकारी परिषद् की पुष्टि, उपान्तरण अथवा निरसन के अधधीन होगी।

कार्यपरिषद् के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कुलाधिपति को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(18) उपधारा (6) की कोई बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कुलपति सम्यक रूप से किसी होने वाले व्यय के लिए और आय व्ययक में उपबंधित व्यय के लिए प्राधिकृत करता है।

(19) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों में अधिकथित की जाय।

कुलसचिव

12. (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कुल सचिव की न्यूनतम अर्हता वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(2) निम्नलिखित सदस्यों से चयन समिति का गठन किया जायेगा :-

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग — अध्यक्ष,

(ख) विश्वविद्यालय का कुलपति — सदस्य,

(ग) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा — सदस्य

(3) कुल सचिव की सेवाओं का वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(4) वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसा अधिनियम और नियमों द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार अथवा कुलपति द्वारा अपेक्षित हो।

(5) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

(6) कुल सचिव के चयन हेतु चयन प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

- (7) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों के अधिप्रमाणन करने की शक्ति होगी।
- (8) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेख और सामान्य मुद्रा को सम्यक रूप से अभिरक्षा में रखने के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यकारी परिषद/शैक्षिक परिषद/वित्त समिति/कोई अन्य समिति का पदेन सचिव होगा और ऐसी सभी सूचनाओं जैसा उसके कार्य के लिए आवश्यक हो उसके समक्ष रखने के लिए बाध्याकारी होगा। वह कार्यकारी परिषद अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अथवा विहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा, किन्तु इस उपधारा के प्रयोजन के लिए वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा।
- (9) कुलसचिव विश्वविद्यालय के ऐसे अपेक्षित अभिलेख और पत्रजातों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्यकारी होगा तथा उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए जैसा वह आवश्यक समझे इससे संबंधित मामलों की सूचना को उपलब्ध करायेगा।
- (10) विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा सभी संविदाओं का निष्पादित और हस्ताक्षरित की जायेगी।
- (11) कुलसचिव की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विनियमों में विहित किया जाय।

परीक्षा नियंत्रक

13. (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा न्यूनतम अर्हता एवं चयन हेतु चयन प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।
- (2) निम्नलिखित सदस्यों से चयन समिति का गठन किया जायेगा :-
 - (क) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग - अध्यक्ष,
 - (ख) विश्वविद्यालय का कुलपति - सदस्य,
 - (ग) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा - सदस्य

- (3) वह विश्वविद्यालय के परीक्षाओं को संचालित करने का प्रभारी होगा और उससे संबंधित मामलों तथा ऐसे दायित्वों का प्रयोग करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय अथवा कुलपति द्वारा निर्देशित किया जाय।
- (4) परीक्षा नियंत्रक की सेवाओं का वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसा यू0जी0सी0/सरकार द्वारा विहित किया जाय।
- (5) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा तथा वह उसके कार्य व्यवहार से संबंधित सभी आवश्यक ऐसी सूचनाओं को समिति के समक्ष रखने के लिए बाध्यकारी होगा। वह कुलपति अथवा कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अथवा विनियमों द्वारा विहित ऐसे अन्य दायित्वों का भी निर्वहन करेगा किन्तु इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मत देने का अधिकारी नहीं होगा। वह किसी महाविद्यालय से अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक ऐसी सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (6) कुलपति के पर्यवेक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक का उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
- (7) परीक्षा समिति के पर्यवेक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक प्रवेश परीक्षा तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन करेगा।
- (8) राज्य सरकार के आदेशों के सिवा परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए पारिश्रमिक देगा और न ही स्वीकार करेगा।
- (9) जब परीक्षा नियंत्रक किसी कारण से अपने कृत्य करने में असमर्थ हो अथवा परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने अथवा रिक्ति

की पूर्ति करने तक जैसी स्थिति हो परीक्षा नियंत्रक के दायित्वों का निर्वहन कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

14. (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे राज्य सरकार द्वारा सरकार के अधिकारियों में से नियुक्त किया जायेगा।
- (2) वित्त अधिकारी की सेवाओं का वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय।
- (3) वह विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली सम्पत्ति और विनिवेश का प्रबन्ध करेगा। वह वित्तीय मामलों से सम्बन्धित सभी मामलों में कुलपति को परामर्श देगा। वह विश्वविद्यालय के लेखों जिसमें वार्षिक वित्तीय आंकलन और वार्षिक लेखा तथा तुलन पत्र को तैयार करना सम्मिलित है, के समूचित अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) वह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई व्यय सरकार से अनुमोदित वित्तीय आंकलन में प्राधिकृत से अधिक न हो और वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी व्यय को करने की अनुमति नहीं देगा।
- (5) वित्त अधिकारी आय व्ययक (वार्षिक आंकलन) को प्रस्तुत करने और लेखों के विवरण कार्यकारी परिषद के समक्ष रखने के बाध्यकारी होगा और विश्वविद्यालय की आरे से निधियों का आहरण और वितरण का भी कार्य करेगा।
- (6) वित्त अधिकारी कार्यकारी परिषद की बैठकों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकारी होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (7) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे—
- (क) यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यय जो आय व्ययक में प्राधिकृत नहीं है किसी अन्य रीति से विनिवेश करना,
- (ख) इस अधिनियम अथवा किसी विनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्रस्तावित व्यय पर अनुमति खारिज करना,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हो रही है और लेखा परीक्षा में उठायी गयी किसी अनियमितता को ठीक करने के लिए कदम उठाना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिमेश सम्यक रूप से सुरक्षित और प्रबंधन में हैं।

अन्य अधिकारी और 15. कर्मचारी

धारा 8 के खण्ड (छः) में संदर्भित विश्वविद्यालय/परिसर महाविद्यालय/संघटक महाविद्यालय के अन्य अधिकारियों/फैकल्टी और कर्मचारी वर्गों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां और कृत्य तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय,

इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुलसचिव के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति सेवा की शर्तें और निबंधन तथा शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाय।

विश्वविद्यालय के 16. अधिकारी सरकार के सिवाय अन्य कोई पारश्रमिक स्वीकार नहीं करना

विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए सरकार द्वारा अथवा उसके आदेशों द्वारा वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवाओं की शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार का पारश्रमिक न तो देगा और नहीं स्वीकार करेगा।

अध्याय – चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के 17. प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्—

(एक) कार्य परिषद,

(दो) शैक्षिक परिषद

(तीन) वित्तीय समिति

(चार) परीक्षा समिति,

(पांच) ऐसे अन्य निकाय जो सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय,

(छः) ऐसे अन्य प्राधिकारी जां विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों से प्राधिकारी घोषित किये जाय।

कार्य परिषद

18. (1) कार्य परिषद निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात् –

- (क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा,
- (ख) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- (ग) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- (घ) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- (ङ) उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति जो अपर सचिव के श्रेणी से नीचे का न हो,
- (च) कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
- (छ) कुलपति केजीएमयू लखनऊ,
- (ज) अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा उसका नामिति,
- (झ) कुलपति के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित उद्योगपति,
- (ञ) कुलपति के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञ,
- (ट) कुलपति द्वारा नामित चक्रानुक्रमानुसार दो महाविद्यालयों के प्राचार्य,
- (ठ) चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से मुख्य मंत्री द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति,
- (ड) अध्यक्ष भारतीय नर्सिंग परिषद, अथवा उसका नामिति,
- (ढ) अध्यक्ष भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद अथवा उसका नामित,
- (ण) अध्यक्ष उत्तराखण्ड पराचिकित्सा परिषद अथवा उसका नामिति,
- (त) निदेशक चिकित्सा शिक्षा,
- (थ) महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

- (द) कुलाधिपति द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति में से जिसमें एक महिला होगी, दो व्यक्ति ।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो परास्नातक नहीं है कार्य परिषद का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
- (3) खण्ड (ज) (झ) (ञ) (ट) (ठ) तथा (द) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा ।
- (4) कोई व्यक्ति कार्य परिषद के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए अनर्ह होगा यदि वह अथवा उसका सम्बंधी किसी कार्य में कोई पारश्रमिक लेता है अथवा किसी सामग्री अथवा विश्वविद्यालय के किसी कार्य के निष्पादन में आपूर्ति के लिए संविदा करता है ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में "सबन्धी" से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित सम्बन्ध अभिप्रेत है और इसमें पत्नी अथवा पति, पिता, पत्नियां अथवा पति की बहन भाई पुत्र और भाई की पुत्री सम्मिलित हैं ।

- कार्य परिषद की बैठकें**
19. (1) कार्य परिषद की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम दो बार ऐसी तारीख को जैसा कुलपति द्वारा नियत किया जाय, जिसमें से एक बैठक वार्षिक बैठक होगी, आयोजित की जायेगी ।
- (2) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यों की रिपोर्ट के साथ आय और व्यय का विवरण, वित्तीय आंकलन तथा अन्तिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्य परिषद के विचारार्थ उपधारा (1) के अधीन आयोजित कार्य परिषद की वार्षिक बैठक के समक्ष रखा जायेगा ।
- (3) कुलपति जब कभी उचित समझे और कार्य परिषद के न्यूनतम दस सदस्यों के हस्ताक्षरों से अपेक्षा किये जाने पर कार्य परिषद की विशेष बैठक आयोजित कर सकेगा ।

- कार्य परिषद की 20.** (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी

शक्तियां और कृत्य

और इस अधिनियम में दिये गये किसी बात के होते हुए भी कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात्—

- (एक) विश्वविद्यालय की नीतियों को समय-समय पर पुनर्विलोकित करने की शक्ति कार्य परिषद की होगी और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाने तथा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा पर प्रस्ताव पर विचार करने और पारित करने की शक्ति होगी।
- (दो) डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान और संस्थित करना।
- (तीन) मानद उपाधियां अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं संस्थित करना।
- (चार) सरकार, अधिनियम और नियमों द्वारा प्रदान की गयी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना।
- (पांच) विश्वविद्यालय के मामलों में पर्यवेक्षणक और नियंत्रण करना।
- (छः) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों का धारण और नियंत्रण करना।
- (सात) शैक्षणिक कार्यक्रम अनुमोदित करना।
- (आठ) विनियमों को बनाना, संशोधन अथवा निरसन करना।
- (नौ) विश्वविद्यालय का आय-व्ययक तैयार करना।
- (दस) किसी निधि का प्रशासन और विश्वविद्यालय के निस्तारण के लिए रखना।
- (ग्यारह) सरकार के अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय की किसी स्थावत, जंगम अथवा अन्य सम्पत्ति की अपेक्षा और अन्तरण,
- (बारह) विश्वविद्यालय के निर्देश और सामान्य मुद्रा का प्रयोग
- (तेरह) ऐसी समितियों का गठन जैसा विश्वविद्यालय के पर्याप्त कृत्यों के लिए अपेक्षित हो,
- (चौदह) विश्वविद्यालय के कर्मचारीबृन्दों की सेवाओं की शर्तों और निबन्धनों तथा परिलब्धियों का अवधारण,

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के बैंक लेखों के संचालन प्राधिकृत करना,

(सोलह) इस अधिनियम अथवा विनियमों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के सभी मामलों को विनियमित और अवधारित करना।

(2) कार्य परिषद की प्रत्येक बैठकें ऐसी तारीख, समय और स्थान पर आयोजित की जायेगी जैसा कुलपति द्वारा नियत किया जाय।

(3) कार्य परिषद के सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करने के अर्ह होंगे जैसा विहित किया जाय।

(4) विश्वविद्यालय की कोई जंगम सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना (प्रबंधन के साधारणतया माह दर माह पर किराये के अतिरिक्त) कार्य परिषद द्वारा बंधक, विक्रय, विनियम, दान अथवा अन्य किसी प्रकार से न तो अंतरित की जायेगी और नही कोई धनराशि ऋण ली जायेगी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अनुदान के प्राप्ति के किसी शर्त के सिवाय कोई प्रतिभूति नही ली जायेगी।

(5) कार्य परिषद वित्त समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नियत किये गये होने वाले आवर्तक और अनावर्तक व्यय से अधिक धनराशि व्यय नही करेगी।

(6) कार्य परिषद विनियमों में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन उसकी ऐसी शक्तियों को जैसा वह ठीक समझे किसी अधिकारी को अथवा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित समिति को प्रतिनिधानित कर सकेगी।

शैक्षिक परिषद

21. (1) शैक्षिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सामान्य विनियमन और नियंत्रण तथा विश्वविद्यालय के निर्देश, शिक्षा और परीक्षाओं के मानकों के अनुरक्षण के लिए जिमेदार होगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी

जैसा उसे विनियमों में सौंपा अथवा प्रदत्त की जाय और सभी शैक्षणिक मामलों में शैक्षिक परिषद राय देगी।

(2) शैक्षिक परिषद निम्नलिखित सदस्यों से सरचित होगी, अर्थात्—

(क) कुलपति — अध्यक्ष

(ख) निदेशक चिकित्सा शिक्षा — सदस्य

(ग) कुलपति द्वारा नामित दो ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य जो कार्य परिषद के सदस्य हो— सदस्य

(घ) दून विश्वविद्यालय के विभाग का एक प्रधान जिसे उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित किया गया हो—सदस्य

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) व (घ) में संदर्भित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

वित्त समिति

22. (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात्—

(क) कुलपति — अध्यक्ष

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अपर सचिव की श्रेणी से अनिम्न व्यक्ति— सदस्य

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अपर सचिव की श्रेणी से अनिम्न व्यक्ति— सदस्य

(घ) कुलपति द्वारा नामित कार्य परिषद के दो सदस्य — सदस्य

(ङ) वित्त अधिकारी — सदस्य

(2) वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय के सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों में परामर्श देगी। विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों से संबंधित, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्तक और अनावर्तक कुल व्यय के लिए सीमा नियत करने और किसी विशिष्ट कारण हेतु इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित करने का

दायित्व होगा। इस प्रकार नियत की गयी सीमा कार्य परिषद के लिए बाध्यकारी होगी।

- (3) वित्त समिति इस अधिनियम अथवा विनियमों द्वारा प्रदत्त एवं अधिरोपित ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगी जैसी विहित की जाय।
- (4) जब तक कि वित्त समिति द्वारा वित्तीय अपेक्षाओं की संस्तुति का प्रस्ताव न किया जाय कार्य परिषद उस पर निर्णय नहीं ले सकेगी और यदि कार्य परिषद वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत होती है तो वापस संदर्भित किये गये ऐसे प्रस्ताव को वित्त समिति से कुलाधिपति के लिए संदर्भित किया जायेगा जिस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा समिति

23.

- (1) विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति होगी जिसका गठन विनियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अथवा कुलपति द्वारा गठित होगी।
- (2) समिति सामान्तया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का पर्यवेक्षण जिसमें सभी पाठयक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं सम्मिलित हैं, करेगी और निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्—
 - (क) परीक्षकों और नियंत्रणकर्ताओं को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो उन्हें हटाना,
 - (ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन और उस पर शैक्षणिक परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,
 - (ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अकादमिक परिषद को संस्तुति करना
 - (घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की सन्निरीक्षा, उसे अन्तिम करना और विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित करना,
 - (ङ) नियंत्रण कर्ता और अंको का विवरण,
- (3) परीक्षा समिति ऐसी संख्या में जैसा वह ठीक समझे कुछ संख्या में

उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी और विशेषतया किसी एक अथवा अधिक व्यक्तियों अथवा उपसमिति को प्रतिनिधानित कर सकेगी। परीक्षाओं में नकल के मामलों से संबंधित मामलों के निर्णय की शक्ति भी होगी।

- (4) एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, एम0डी0एस0, एम0डी0, एम0एस0, नर्सिंग एवं परा-चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सम्पादित कराना।
- (5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी परीक्षा समिति अथवा उपसमिति अथवा कोई व्यक्ति जो परीक्षा समिति द्वारा उपधारा (3) के अधीन उसकी शक्तियों का प्रतिनिधानित है जैसी स्थिति हो के लिए यह विधिपूर्ण होगा यदि उसके अथवा उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में नकल करने का दोषी है, कि वह ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय के भविष्य की परीक्षाओं से बाहर कर दे।
- (6) इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए की गयी व्यवस्थाओं हेतु ऐसे निर्देश दे सकेंगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

संकाय

24. विश्वविद्यालय के संकाय और उनकी संरचना ऐसी होगी, जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।

अन्य प्राधिकारी

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जाय।

अध्याय- पांच

विनियम

विनियम

26. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सरकार निम्नलिखित मामलों के लिए विनियम बना सकेगी,

परन्तु, प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना

द्वारा बनाये जायेंगे तथा नये विनियमन/नियम बनाने, संशोधन करने या विलुप्त करने की शक्तियाँ कार्यपरिषद में निहित होंगी।

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा समय-समय पर विश्वविद्यालयके लिए घोषित होने वाली प्राधिकारियों और ऐसी अन्य निकायों के गठन, कृत्य और शक्तियों,
- (ख) उपयुक्त प्राधिकारियों अथवा निकायों के सदस्यों के निर्वाचन और उनकी निरन्तरता तथा सदस्यों की रिक्तियों को भरा जाना और इन प्राधिकारियों अथवा निकायों से संबंधित सभी अन्य मामलों हेतु,
- (ग) मानक उपाधियों का प्रदान किया जाना,
- (घ) उपाधियों को प्रदान किये जाने के लिए दीक्षान्त समारोह का आयोजन ,
- (ङ) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का प्रत्याहरण,
- (च) संकाय, विभाग, छात्रावास, महाविद्यालय और संस्थाओं की स्थापना, अनुरक्षण और उनका समापन,
- (छ) महाविद्यालयों की सम्बद्धता की शर्तें और सम्बद्ध महाविद्यालयों की सम्बद्धता का प्रत्याहरण,
- (ज) फैलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप, मेडल, पुरस्कार इत्यादियों को संस्थित करना,
- (झ) प्राधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया और प्राधिकारियों की बैठक में अनुश्रवण की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें कार्य के लिए गणपूर्ति का निर्धारण यदि इस अधिनियम में कोई मानक न बनाये गये हों, सम्मिलित है,
- (ञ) विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों का वर्गीकरण,
- (ट) वसीयत, दान और विन्यास की प्राप्ति और प्रबन्धन,
- (ठ) स्नातकों का पंजीकरण और विभिन्न कक्षाओं के पंजीकृत

स्नातकों की पंजिका का रख रखाव, अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम के अधीन सरकार जो अपेक्षा करे।

(ड) अधिनियम के अन्य वे सभी बिन्दु जिन पर राज्य सरकार को विनियम बनाने है।

(2) सरकार विश्वविद्यालय में कतिपय पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए समय-समय पर राज्य की नीति के अनुसरण में आरक्षित करेगी।

(3) प्रत्येक नये विनियम या विनियमों में परिवर्धन या विनियम में किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद के विचारार्थ उसे लौटा सकेगा।

(4) किसी नये विनियम या किसी विद्यमान विनियम का संशोधन या निरसन करने वाले विनियम की तब तक कोई वैधता नहीं होगी, जब तक कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाय।

नियम

27. (1) सरकार / कार्यपरिषद इस अधिनियम / विभिन्न परिषद के संगत नियम बना सकेगी।

(2) नियम—

(क) शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक दोनों पदों के लिए भर्ती हेतु उपयुक्त प्रक्रिया,

(ख) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का आचरण और कर्तव्यों के निर्वहन में कमी और दुर्व्यहार के मामलों में अनुसरण की जाने वाली अनुशासनिक प्रक्रिया,

(ग) प्रत्येक प्राधिकारी के सदस्यों को बैठक की तारीख की सूचना और बैठक में आने वाली विषय-वस्तु देना, तथा बैठक की कार्यवाही के अभिलेख को रखना,

(घ) बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, तथा

- (ड.) ऐसे प्राधिकारी से सम्बन्धित सभी मामले जो इस अधिनियम, नियम और अधिनियम में उपबन्धित नहीं किये गये हैं,
- (3) प्रत्येक नये नियम या नियमों में परिवर्धन या नियम में किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ उसे लौटा सकेगा।
- (4) किसी नये नियम या किसी विद्यमान नियम का संशोधन या निरसन करने वाले नियम की तब तक कोई वैधता नहीं होगी, जब तक कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाय।
- (5) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रवृत्त होंगे। इन्हें शासकीय गजट में भी प्रकाशित किया जायेगा।

अध्याय— छः

वित्त और लेखे

- सामान्य निधि** 28. विश्वविद्यालय के पास एक सामान्य निधि होगी जिसमें —
- (क) शुल्क, विन्यास और अनुदान यदि कोई हो से आय,
- (ख) ऐसी शर्तों पर जैसी अधिरोपित की जाय सरकार से प्राप्त संकलन अथवा अनुदान,
- (ग) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंतरराष्ट्रीय दांन अभिकरणों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ से अनुदान जमा की जायेगी।
- अन्य निधियां** 29. विश्वविद्यालय के पास कोई अन्य ऐसी निधियां होंगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय।
- ऋण लेने की शक्ति** 30. विश्वविद्यालय सरकार द्वारा विहित प्रयोजनों के लिए बैंक अथवा निगम से धनराशि ऋण ले सकेगी, जहां ऋण लेने वाली धनराशि 5 करोड़ से अधिक हो वहां ऐसे ऋण को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

निधियों का प्रबंधन 31. विश्वविद्यालय की सभी निधियों का प्रबंधन ऐसे होगा जैसे सरकार द्वारा विहित किया जाय।

लेखा परीक्षा कराने हेतु सरकार की निर्देश देने की शक्ति 32. सरकार जब कभी आवश्यक समझे विश्वविद्यालय के लेखों की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षकों से जैसा वह निर्देश दे लेखा परीक्षा कराने के आदेश कर सकेगी।

वित्तीय आंकलन 33. (1) कुलपति विश्वविद्यालय के चालू वर्ष का वित्तीय आंकलन को ऐसी तारीख से पूर्व ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा विहित किया जाय और उसे सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
(2) सरकार वित्तीय आंकलन को ऐसे उपांतरणों के साथ अनुमोदित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे और ऐसा कोई व्यय सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय आंकलन के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।

वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा 34. (1) विश्वविद्यालय वार्षिक लेखे कुलपति के निर्देशन के अधीन तैयार किये जायेंगे और उसकी एक प्रति सरकार को भेजी जायेगी।
(2) विश्वविद्यालय के लेखे वर्ष में एक बार 15 माह से अधिक नहीं की अवधि के लिए राज्य लेखा के नियंत्रक द्वारा लेखा परीक्षित किये जायेंगे।
(3) विश्वविद्यालय का परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ शासकीय गजट में सरकार द्वारा प्रकाशित किया जायेगा और उसकी प्रति कार्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी।
(4) वार्षिक लेखा कार्य परिषद की वार्षिक बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा, कार्य परिषद इस पर प्रस्ताव पारित करेगी और उसे सरकार को संसूचित करेगी। सरकार कार्य परिषद द्वारा किये गये विचार से सुझाव प्राप्त करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसा ठीक समझे। सरकार कार्य परिषद को उसकी अगली बैठक में सूचना देगी और की गयी कार्यवाही अथवा कार्यवाही न किये जाने के कारण संसूचित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट 35. (1) विश्वविद्यालय एक वार्षिक रिपोर्ट जिसमें ऐसी विवरणियां जैसा

सरकार विहित करे प्रत्येक वित्तीय वर्ष पर तैयार करेगी और सरकार द्वारा विहित ऐसी तारीख को अथवा उससे पूर्व कार्य परिषद को प्रस्तुत करेगी। कार्य परिषद उस पर प्रस्ताव पारित करेगी और सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। कृत कार्यवाही से कार्य परिषद को अवगत कराया जायेगा।

- (2) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कार्य परिषद के प्रस्ताव के साथ सरकार को भेजी जायेगी और विधान सभा समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय— सात

महाविद्यालयों की संबद्धता और संस्थाओं की मान्यता

महाविद्यालयों
संबद्धता

की 36.

(1) विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर महाविद्यालय इस धारा में विहित शर्तों की संतुष्टि पर कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय से इस प्रकार संबद्ध होंगे, जैसे कार्यपरिषद द्वारा की गयी संस्तुति पर विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों और एम सी आई / डी सी आई / एन सी आई / पी सी आई इत्यादि संबंधित परिषदों द्वारा नियत मानकों से संबद्ध होते हैं।

(2) विश्वविद्यालय की संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा नियत समय के भीतर कुलसचिव को आवेदन -पत्र भेजेगा और शैक्षिक परिषद यह समाधान करेगी कि -

(क) जहां महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके निकट समुचित विद्यमान उपबंधों में महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की रीति के संबंध में स्थानीय आवश्यकता की आपूर्ति करेगा,

(ख) वह नियमित रूप से गठित शासकीय निकाय के प्रबंधन के अधीन है,

(ग) शैक्षिक बृन्दों की संख्या और अर्हताएं तथा उनकी पदावधि की शर्तें, निर्देश, अध्यापन अथवा परिशिक्षण के लिए महाविद्यालय द्वारा उपबंध किये गये हैं,

(घ) महाविद्यालय का भवन जिसमें वह अवस्थित है उपयुक्त है और महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय में माता-पिता अथवा अभिवावकों को छोड़कर छात्रों के लिए आवास अथवा भोजन तथा छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए उपबंध किये गये हैं,

(ङ) पुस्तकालय के लिए उपबंध किये गये हैं अथवा किये जायेंगे,

(च) जहां संबद्धता प्रायोगिक विज्ञान किसी शाखा के लिए ली जानी प्रस्तावित हो वहां इसकी व्यवस्था की गयी है अथवा व्यवस्था की जायेगी और इनमें समुचित रूप से स्थापित प्रयोगशाला अथवा म्यूजियम की व्यवस्था है,

(छ) प्राचार्य और शिक्षक बृन्दों के आवास के लिए महाविद्यालय में अथवा महाविद्यालय के निकट अथवा छात्रों के निवास के लिए स्थान उपलब्ध है,

(ज) महाविद्यालय के वित्तीय स्रोत ऐसे हैं जो कि उसकी निरंतर अनुरक्षण और पर्याप्त कार्य के लिए उपबंध किये गये हैं, और

(झ) शुल्क निर्धारण के लिए नियम यदि कोई हों, इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा नियत मानकों के अनुसार छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस की स्थिति।

(3) इस आश्वासन के साथ आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा कि महाविद्यालय की संबद्धता के पश्चात प्रबंधन के कोई परिवर्तन तथा शिक्षक बृन्दों में सभी परिवर्तन और उपर्युक्त अपेक्षाओं के किन्हीं परिणामों से सभी परिवर्तन पूर्ण नहीं किये जाते हैं या पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति हो उस संबंध में सरकार अथवा ऐसे प्राधिकारी को जिसे सरकार विहित करे, रिपोर्ट की जायेगी।

कुलसचिव ऐसे सभी आवेदनों को जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर सरकार -

(क) ऐसे मामलों में जैसा आवश्यक और संदर्भित समझा जाय,

कोई सरकार द्वारा सक्षम व्यक्ति अथवा प्राधिकृत व्यक्ति उसकी ओर से स्थानीय जांच के निर्देश देगा,

(ख) ऐसी अग्रेतर जांच जो आवश्यक समझी जाय कर सकेगा, और

(ग) आवेदन-पत्र को स्वीकार किया जाय अथवा नहीं के प्रश्न पर खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन किसी जांच के परिणाम पर पूर्ण अथवा किसी भाग के लिए शैक्षिक परिषद के परामर्श के पश्चात अपनी राय अंकित करेगा।

(5) सम्बद्धता हेतु समय सारणी, प्रक्रिया तथा शुल्क का निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(6) कुलसचिव ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवेदन और सभी कार्यवाहियां यदि कोई हों को जमा करने के लिए विहित करे शैक्षिक परिषद् सरकार को प्रेषित करेगी जिसे ऐसी जांच के बाद जैसी आवश्यक हो उस आवेदन-पत्र अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार करने के लिए संस्तुति अथवा आवेदन-पत्र अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार करने की स्थिति से अवगत करायेगा और विश्वविद्यालय तदनुसार आदेश जारी करेगा।

(7) जहां आवेदन-पत्र अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार किया जाता है विश्वविद्यालय के आदेश में महाविद्यालय के संबद्धता की अवधि और उसके संदर्भ में निर्देश विहित करेगा तथा आवेदन-पत्र और उसका कोई भाग को अस्वीकार किया जाता है, वहां ऐसे अस्वीकार के आधार विश्वविद्यालय अथवा सरकार द्वारा उल्लिखित किये जायेंगे,

परन्तु यह कि सरकार की संस्तुति पर किसी महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता प्रदान की जा सकेगी जिसे लगातार 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा तथा संबद्धता की सभी शर्तों को पूर्ण करने और समय-समय

पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित, शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों को पूर्ण की जायेगी।

(8) सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उसके आदेश के पश्चात् यथाशीघ्र कुलसचिव उपधारा (4) तथा (6) और उससे समंधित समस्त कार्यवाही के अधीन की गयी कार्रवाही आवेदन पत्र के सम्बन्ध में पूर्ण रिपोर्ट कार्य परिषद को प्रस्तुत करेगा।

(9) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से पूर्व किसी समय वापस ली जा सकेगी।

(10) जहां कोई महाविद्यालय संबद्धता के संबंध में दिये गये निर्देश के संबंध में कोई पाठयक्रम जोडना चाहता है तो उपधारा (2) से (8) में उल्लिखित विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(11) (क) विश्वविद्यालय अथवा सामान्य स्थिति अध्ययन के किसी नये पाठयक्रम की संबद्धता प्राप्त विद्यमान महाविद्यालय द्वारा जैसी स्थिति हो ऐसे नये महाविद्यालय को संबद्धता स्वीकृत है अथवा अध्ययन के ऐसे पाठयक्रम के संबंध में विद्यमान महाविद्यालय है, से संबद्धता प्राप्त कोई नया महाविद्यालय किसी छात्र का प्रवेश नही लेगा,

(ख) विश्वविद्यालय अथवा सरकार जैसी स्थिति हो, द्वारा नियत संख्या से अधिक अध्ययन के पाठयक्रम में छात्रों की अधिकतम संख्या और निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में प्रवेश अवैध होंगे।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन अवैध किया गया छात्र का प्रवेश अनर्ह होगा और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में उपस्थित नही हो सकेगा।

कतिपय संस्थाओं की मान्यता 37. (1) कोई संस्था महाविद्यालय के इतर जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर अवस्थित हो जिसेमें शोध अथवा विशिष्ट अध्ययन संचालित हैं इन प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति और शर्तों के अध्याधीन जैसा राज्य सरकार विहित करे, मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकेगी।

(2) ऐसी कोई मान्यता पूर्ण रूप में अथवा भाग में अथवा उपांतरित रूप में ऐसी रीति और ऐसे कारणों से जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय प्रत्याहरित की जा सकेगी।

महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्ट का 38. (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय कुलसचिव को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य सूचनाएं जैसा कि शैक्षिक परिषद महाविद्यालय अथवा संस्था की दक्षता को जांच करने के लिए अपेक्षित समझे, उपलब्ध करायेगा।

(2) सरकार प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का समय-समय पर इस संबंध में एक अथवा एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों से निरीक्षण करा सकेगा।

(3) सरकार इस प्रकार निरीक्षित महाविद्यालय को विहित अवधि के भीतर धारा 36 की उपधारा (2) में संदर्भित मामलों के किसी संबंध में ऐसी कार्रवाही के लिए बुला सकेगी।

संबद्धता का प्रत्याहरण का 39. (1) धारा 36 की उपधारा (2) के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन में असफल होने पर अथवा उसकी संबद्धता की किसी शर्तों के अनुपालना में असफल रहने अथवा शिक्षा के हित में व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना संचालित किया जा रहा है तो किसी महाविद्यालय को दी गयी संबद्धता को कार्यपरिषद कुलाधिपति की पूर्वानुमोदन से पूर्ण रूप से अथवा भाग में अथवा उपांतरित रूप में प्रत्याहरित की जा सकेगी।

(2) प्रत्याहरण अथवा ऐसे अधिकार के उपांतरण का कोई संकल्प केवल कार्य परिषद में लाया जा सकेगा, कार्य परिषद के सदस्य जो ऐसे किसी संकल्प को लाना चाहते हैं लिखित रूप में आधार के साथ सूचना दे सकेंगे।

(3) कार्य परिषद में उक्त संकल्प को विचारार्थ लिये जाने से पूर्व नोटिस की प्रति और उपधारा (2) में लिखित विवरण संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को इस सूचना के साथ कि यदि कोई

प्रत्यावेदन लिखित में विहित अवधि के भीतर दी जानी हो तो उसे कार्य परिषद को विचारार्थ भेजा जाय, भेजी जायेगी,

परन्तु यह कि इस प्रकार विहित अवधि को यदि आवश्यक हुआ तो कार्य परिषद द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर अथवा प्रत्यावेदन की प्राप्ति पर कार्य परिषद संकल्प के नोटिस विचार करने के पश्चात् विवरण तथा प्रत्यावेदन और इस संबंध में प्राधिकृत कोई सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे निरक्षण के पश्चात् तथा ऐसी अग्रतर जांच जो आवश्यक हो, और शैक्षिक परिषद से परामर्श के पश्चात् सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर कार्य परिषद ऐसी अग्रतर जांच के पश्चात् यदि कोई हो जो उसके राय में मामले के लिए आवश्यक हो, जांच करा सकेगी,

परन्तु यह कि कार्य परिषद का जब तक कि कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित नहीं हो जाता तब तक कोई प्रस्ताव संबद्धता के प्रत्याहरण की संस्तुति को इसके द्वारा पारित प्रस्ताव समझा जायेगा।

(6) कुलसचिव कार्य परिषद में सरकार से संबंधित यदि कोई प्रस्ताव हो ऐसी जांच के पश्चात् यदि कोई हो जो आवश्यक समझी जाय विश्वविद्यालय को संस्तुति कर सकेगी जिस पर तत्पश्चात् ऐसा आदेश जैसा ठीक समझा जाय किया जा सकेगा।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त संबद्धता को पूर्ण रूप से अथवा भाग में अथवा उपांतरित रूप प्रत्याहरित करने का कोई आदेश जारी किया जाय वहां ऐसे प्रत्याहरण अथवा उपांतरण के लिए आदेश में आधार उल्लिखित करने होंगे।

अध्याय - आठ

सामान्य

- पदों की रिक्ति** 40. (1) विश्वविद्यालय की किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद त्याग-पत्र दे सकेगा, और ऐसा त्याग-पत्र रजिस्ट्रार द्वारा पत्र की प्राप्ति पर प्रभावकारी होगा।
- (2) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय का किसी विशेष प्राधिकारी अथवा निकाय अथवा कोई विशेष नियुक्ति धारक सदस्य के हैसियत से नियुक्त सदस्य है, वह केवल कि विशेष प्राधिकारी अथवा निकाय अथवा विशेष नियुक्ति धारक जैसी स्थिति हो सदस्य के रूप में अपने पद पर बने रहेगा।
- (3) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय का कोई सदस्य जो किसी नैतिक अधमता के अपराध में संलग्न हो किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

- आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना** 41. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के पदेन सदस्य से अतिरिक्त सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे किसी व्यक्ति अथवा निकाय के लिए नामित किया गया है शीघ्रताशीघ्र भरी जायेगी जिससे पद रिक्त हुआ है, और आकस्मिक रिक्ति पर नामित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी अथवा निकाय की ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य के रूप में उसके स्थान पर नियुक्त किया गया है, कार्य करेगा।

परन्तु यह कि यदि ऐसी रिक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के सदस्य की अवधि की समाप्ति की तारीख से छः माह पूर्व उत्पन्न होती है तो ऐसी आकस्मिक रिक्ति नहीं भरी जायेगी।

- सदभावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण** 42. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए अभियोजन या अन्य विहित कार्यवाही विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की कार्यवाही का रिक्ति के कारण अविधिपूर्ण न होना 43. विश्वविद्यालय के किसी कृत्य अथवा किसी प्राधिकारी की कार्यवाही या अन्य निकाय के कोई कार्यवाही इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के किसी सदस्य के चयन, अथवा नियुक्ति में कोई अनिमित्यता थी अथवा ऐसा कृत्य अथवा कार्यवाही में कोई कमी अथवा अनिमित्यता थी ।
- विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के मध्य विवाद 44. यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के किसी सदस्य के मामले में यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चयनित अथवा नामित होने के लिए अर्ह है या नहीं तो ऐसा प्रश्न कुलाधिपति को संदर्भित किया जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा ।
- प्रथम कुलपति की संकमणकालीन शक्तियां 45. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः माह अथवा सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्देशित एक वर्ष से अधिक अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के परिषद और अन्य प्राधिकारियों के गठन के लिए व्यवस्था करने का दायित्व प्रथम कुलपति का होगा ।
- (2) प्रथम कुलपति कुलाधिपति के परामर्श से विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक नियम बनायेगा ।
- (3) प्रथम कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह सरकार के लिए तुरन्त आवश्यक ड्राफ्ट तैयार करे और उसे सक्षम प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए अग्रेषित करे ।
- (4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से गठित प्राधिकारी के समय तक प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी की नियुक्ति अथवा किसी समिति का गठन अस्थायी रूप से करेगा और वह ऐसे प्राधिकारी की किसी शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन करेगा ।
- कुलपति तथा अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना 46. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और अन्य

कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में किये जाने वाले किसी कार्य अथवा कार्य हेतु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोक सेवक समझे जायेंगे।

नियमों आदि की 47.
निरन्तरता

जब तक इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन कोई नियम और विनियम नहीं बनाये जाते तब तक इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के अधीन बनाये गये नियम सरकार की माध्यम से कुलाधिपति के अनुमोदन के साथ कुलपति द्वारा किये गये ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण के साथ जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, तब तक ऐसे नियम आदेश विनियम इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे।

कतिपय परीक्षाओं की 48.
व्यावृत्ति

(1) इस अधिनियम अथवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) कोई छात्र जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कुमांउ विश्वविद्यालय, गढवाल विश्वविद्यालय अथवा राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य विज्ञान में किसी डिग्री के लिए अध्ययनरत है वह तब तक कुमांउ और गढवाल विश्वविद्यालय तथा राज्य के अन्य संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षाएँ ली जायेंगी और ऐसी परीक्षा के परिणामों में अर्ह होने के लिए अन्तर विश्वविद्यालयों के चिकित्सा विज्ञान में डिग्री प्रदान करेंगे।

(ख) यदि कुमांउ विश्वविद्यालय और गढवाल विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय कोई परीक्षा संचालित करता है जिसका परिणाम प्रकाशित हो चुका है किन्तु उक्त विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान अथवा जारी अथवा परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है, तो ऐसी परीक्षा कुमांउ विश्वविद्यालय, गढवाल विश्वविद्यालय और राज्य के अन्य संबंधित विश्वविद्यालय से सम्पादित जायेंगी।

अधिनियम का अन्य 49.
विधियों पर प्रभाव

इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये कोई नियम विश्वविद्यालय में किसी महाविद्यालय के संदर्भ में भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची में उल्लिखित मामलों के संदर्भ में कोई अन्य विधि में कोई असंगत बात के होते हुए भी यह अधिनियम प्रभावी होगा।

कठिनाईयों
निवारण

- का 50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसी कठिनाई को जिसे वह निराकरण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से तीन वर्ष तक कार्यकारी आदेश द्वारा दूर कर सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश को किसी न्यायालय में इस आधार पर कि उक्त उपधारा में संदर्भित कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा सुधार करने की अपेक्षा नहीं थी, प्रश्नगत नहीं की जा सकेगी।
- (3) इस धारा के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश इसके प्रकाशन के पश्चात यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति

51. (1) उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2013 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 72/XXXVI(3)/2014/07(1)/2014
Dated Dehradun, February 18, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University Act, 2014' (Adhiniyam Sankhya 05 of 2014).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 17 February, 2014.

THE HEMWATI NANDAN BAHUGUNA MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY ACT, 2014
(THE UTTARAKHAND ACT, No. 05 OF 2014)

[Enacted by the State Legislative Assembly in the Sixty-fifth Year of the Republic of India]

to provide for the establishment of Medical University in Uttarakhand for the advancement and development of Medical Education and for matters connected therewith or incidental thereto.

An

Act

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement :- (1) This Act may be called the Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University Act, 2014.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.- In this Act, and the context otherwise requires,-

(a) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(b) 'Uttarakhand' means the State of Uttarakhand.

(c) "Governor" means Governor of Uttarakhand;

(d) "Chancellor" means Chancellor of the university i.e. Governor of Uttarakhand;

(e) 'Regulations' means the Regulations of the University made under this Act ;

(f) "Medical sciences" means modern scientific medicine in all its branches, concerning preventive, promotive, curative and rehabilitative services, and includes surgery, obstetrics and gynecology, pharmacy, dental sciences, nursing, paramedical and other allied subjects;

(g) 'Medical Education' means all courses/programmes of education research and training in Medical sciences recognized by MCI/DCI/INC/UPC etc. The courses/programmes are

- (i) MBBS-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery,
 - (ii) BDS- Bachelor of Dental Surgery,
 - (iii) MD- Doctor of Medicine.
 - (iv) MS- Doctor of Surgery.
 - (v) MDS- Masters in Dental Surgery.
 - (vi) Diploma Courses in various disciplines
 - (vii) Any other/ Certificate Course duly notified by the concerned regulatory authority.
 - (viii) Various Courses recognized by Indian Nursing Council.
 - (ix) Various Courses recognized by Uttarakhand Paramedical Council.
- (h) 'MCI' means Medical Council of India.
- (i) "Prescribed" means prescribed by this Act or by the Government, or Regulations;
- (j) "University" means the HEMWATI NANDAN BAHUGUNA MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY established under section 3 of this Act ;
- (k) 'College' means a college or an institution affiliated to the University in accordance with this Act and the Regulations;
- (l) "University Area" means the area under the jurisdiction of the University.
- (m) "University Campus College" means a college established or maintained by the University, including the hospital attached thereto and providing courses of study qualifying students for admission to University examinations in accordance with this Act as may be prescribed.
- (n) "Affiliated College" means a college or institution situated within the State of Uttarakhand or University Area and affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act.
- (o) "Autonomous College" means an affiliated or associated college declared as such in accordance with the provisions of this Act;

- (p) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and declared as such by the Act / Regulations;
- (q) 'Existing College' mean a college or an institution which imparts medical education and is run and maintained by a University established by or under the state university Act (as applicable to the State of Uttarakhand) (and includes a faculty of such University imparting medical education);
- (r) "Approved institution" means a hospital, health centre, affiliated college or such other institution recognized by the University as an institution in which a person may undergo training, if any, required by a course of study before the award of any degree, diploma or other academic distinction of the University;
- (s) 'Principal' means the head of the college, by whatever name called, and includes where there is no Principal, a person for the time being duly appointed, to Act as Principal and in the absence of the Principal or working or the Acting Principal the Vice Principal, duly appointed as such;
- (t) "Student of the University" means a person enrolled in the University for undergoing a course of study for a degree, diploma or other academic distinctions of the University;
- (u) "teachers" includes Professors, Associate Professor, Assistant Professors, and such other persons giving instruction on full time basis in a college or institution of Medical sciences;
- (v) "Teachers of the University" means persons appointed for the purpose of imparting instructions on full time basis in the University or in any college maintained by the University;
- (w) 'Backward Classes of Citizens' means the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes of the State of Uttarakhand and reservation shall be as per provisions of the State.
- (x) 'DCI' means Dental Council of India.
- (y) 'INC' means Indian Nursing Council .
- (z) 'UPC' means the Uttarakhand State Paramedical Council.

CHAPTER II THE UNIVERSITY

3. Establishment and incorporation of the University.- (1) There shall be established a university by the name " Hemwati Nandan Bahuguna Uttarakhand Medical University " with jurisdiction over the whole of the State of Uttarakhand.

(2) The University shall provide affiliation to all Medical/Dental/ Paramedical and Nursing colleges of the State and may start Post Graduate and Super Specialty Courses on its own resources as per the norms and conditions laid down by the concerned council/Central Government. The University may also conduct Research and Investigation from its own resources.

(3) The University shall primarily be an affiliating University.

But, with the prior approval of state Government/Medical Council of India (MCI), University shall be able to establish their own campus college and can declare affiliated Government Colleges as its own campus.

4. Jurisdiction and Affiliation (1) The University shall, in the exercise of its powers under this Act, have jurisdiction over the whole State of Uttarakhand.

(2) Every College or Institution imparting education in medical sciences in the State on the date of commencement of this Act shall apply for affiliation afresh. The State Government, by notification shall constitute a high level screening committee for a certain period of time for this purpose. No college shall be run in the state/admit new students without affiliation from the University.

Provided that a student pursuing his study in medical sciences in any college or institution on the date of such commencement of the Act shall be entitled and allowed to continue and complete such study under the erstwhile

University after such commencement and the erstwhile University shall hold examination of such students and confer degree or any other academic distinction on him.

(3) Doon Medical College shall be main campus of the University.

5. Powers and functions of the University - Subject to the provisions of this Act and such conditions as may be prescribed by the Act, the University shall have the following powers which shall be subject to the provisions of Central Acts and the norms of MCI/DCI/INC and UPC etc., namely:-

- (i) to institute and award degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions for persons who shall have pursued approved courses of study in a University college or affiliated colleges unless exempted there from in the manner prescribed and shall have passed the prescribed examinations of the University, or shall have carried on research satisfactorily under conditions as may be prescribed;
- (ii) to hold examinations and to confer degrees or other distinctions under conditions as may be prescribed;
- (iii) to institute, maintain and administer University colleges, hospitals and laboratories and institutes of research, libraries or other institutions, necessary to carry out the objects of the University.
- (iv) to affiliate colleges and institutions and to withdraw such affiliation;
- (v) to institute and award scholarships, studentships, stipends, medals and prizes;
- (vi) to exercise such control over the students of the University as to secure their health, well being and discipline and to exercise through the affiliated colleges control for similar purposes over the students of affiliated colleges;
- (vii) to manage and control all immovable properties transferred to the University by the Government for the purpose of this Act ;
- (viii) to accept, hold and manage any grants from State Government, Central Government, UGC or any other type of aid provided by Central or State Government. Research chair or any other work related to improvement of quality of medical education can be sponsored in the University as per the norms of the University Grants Commission/ MCI and other councils.

- (ix) to borrow money with or without security for such purposes as may be approved by the Government from the Central Government, the University Grants Commission or other incorporated bodies subject to the provisions of this Act ;
- (x) to fix fees and demand and collect such fees as fixed by the Committee constituted by the Higher Education Department of State Government or Finance Committee of the University;
- (xi) to undertake publication of works of merit and research pertaining to health sciences;
- (xii) to co-operate with other Universities and academic institutions;
- (xiii) to establish and maintain University libraries, research station, museums and press and publication bureau;
- (xiv) to establish research posts and to appoint suitable persons to such posts;
- (xv) to award prizes and medals to deserving students, on the basis of approved endowments;
- (xvi) generally to do such other Acts or make such other provisions as may be deemed necessary or desirable to further the objects of the University.
- (xvii) to provide and upgrade education, training and research in medical education and to create entrepreneurship and conducive environment for pursuit of the medical education in close cooperation with industries;
- (xviii) to admit any college to privileges of affiliation or to enlarge the privileges of any college already affiliated, or to withdraw or curtail any such privilege and guide and control the work of such colleges.
- (xix) to hold examinations for, and to grant and confer degrees or other academic distinctions to and on, persons who-(one) have pursued a course of study in a college ; or(Two) have carried on research in a college recognized in that behalf by the university, under conditions laid down in the regulations.
- (xx) to make provision for the advancement of medical education amongst classes and communities which are educationally backward;
- (xxi) to make provision for:-
 - (One) the maintenance of national cadet corps or other similar organization;
 - (Two) physical and military training; and

(Three) sports and athletic clubs.

(xxii) to make appointments of officers and other employees of the university to the posts created by the State Government;

(xxiii) to lay down the conditions of affiliation of colleges and to satisfy itself by periodical inspection that such conditions are satisfied;

(xxiv) to cooperate or collaborate with other universities and authorities in such manner and for such purpose as the university may determine from time to time;

(xxv) to conduct the entrance examinations for various courses in medical sciences, as determined by the Government from time to time and discharge miscellaneous responsibilities (related to entrance/ admissions) as indicated by the government from time to time.;

(xxvi) to do all such other Acts or things whether incidental the objects of the university.

6. Jurisdiction and admission to privileges .- (1) No college in the State of Uttarakhand imparting education in medical sciences shall, save with the consent of the University be associated in any way with or seek admission to any privileges of any other University in India or abroad.

(2) Any such privilege enjoyed from other University before the appointed date by any medical college or institution of medical sciences situated in the State shall be deemed to be withdrawn with effect from such date.

(3) With effect on and from the date of commencement of this Act , all colleges and autonomous institutions of medical sciences previously affiliated to the Universities of Kumaon and Garhwal or any other university in the State shall be deemed to be affiliated to the University subject to Sub-Section (2) of Section 4 of the Act .

7. University open to all .- (1) No person shall be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities or from admission to any degree, diploma or other academic distinction or course of study on the sole ground of sex, race, creed, class, place of birth, religious belief or political or other opinion:

Provided that the University may, subject to the previous sanction of the Government, maintain, affiliate any college exclusively for women.

- (2) Subject to the provisions of sub-section (1), the University shall in accordance with the special or general directions of the Government reserve seats for the purpose of admission as students in any college or institution maintained or controlled by the University for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

Provided that the university shall abide by the provisions of norms of Government for reservation for various categories, for admission in various courses .

- (3) The University shall be open to all persons irrespective of caste, creed, race, language etc.

Provided that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study more than the number of students as may be determined by the Regulations.

Provided further that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provision for admission on students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of the State.

CHAPTER III

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

8. Officers of the University .- The following shall be the officers of the University namely:-

(i) The Chancellor;

(ii) The Vice-Chancellor;

(iii) The Registrar;

(iv) The Controller of Examinations;

(v) The Finance Officer;

(vi) Such other officers and ministerial staff of the University as may be sanctioned by the State Government from time to time;

9. The Chancellor .- (1) The Governor shall by virtue of his office be the Chancellor of the University.

- (2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside at any convocation of the University.
- (3) No honorary degree shall be conferred by the University upon any person without the approval of the Chancellor.
- (4) The Chancellor shall have the authority to control, regulate, guide, direct and also, if needed, administer the University in case of extra-ordinary conditions, and his directions shall be implemented and obeyed by the concerned officials of the University. He also would be having suo motu powers to inquire and initiate any disciplinary action against any of the officers of the University whenever he deems it fit.
- (5) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred upon him by or under this Act or the Government.
- (6) It shall be the duty of the Vice-Chancellor of furnish such information of records relating to the administration of the affairs of the university as the Chancellor may call for.

10. The Vice-Chancellor .- (1) The Vice-Chancellor shall be a full time officer of the University.

- (2) Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a medical college or Medical University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed organization of medical sciences.
- (3) The selection of Vice Chancellor shall be through proper identification of a panel of 3-5 names by a Search Committee through a public notification or a talent search process or in combination. The constitution of the Search Committee shall be as per

Sub-Section (4) of Section 10 of the Act . While preparing the panel, the Search Committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the medical education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance to be given in writing along with the panel, when being submitted to the Chancellor.

(4) The Search Committee shall consist of the following members namely:-

(a) Chief Secretary, Government of Uttarakhand will be the Chairperson of the Search Committee

Chairperson

(b) One member from amongst Vice Chancellor of KGMU Lucknow or Director PGI Chandigarh/Lucknow or Director, AIIMS, Delhi or any eminent person from medical sciences to be nominated by the Chancellor-

Member

(c) Principal Secretary or Secretary to the State Government in the Medical Education Department shall be the convener and member secretary of the Committee-

Member Secretary

(5) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from out of the panel of persons placed by the Search Committee. The panel shall be placed by a committee constituted under sub-section (4);

Provided that,-

(a) the first Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government;

(b) No person shall be appointed or hold office as Vice-Chancellor if he has attained the age of 65 years;

(c) If the Chancellor does not approve of any one of the persons recommended by the committee or if the person so recommended is not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from the committee;

(6) The Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor and hold office for a period of three years, but he shall be eligible for re-appointment:

Provided that no person shall be appointed as Vice-Chancellor for more than two terms in total;

Provided further that no Vice-Chancellor shall be removed from the office except by an order passed on the ground of misbehavior, mismanagement, incapability or otherwise after due enquiry by a serving or retired Judge of a Supreme Court or High Court appointed by the Chancellor. Chancellor shall after making such enquiry as he deems proper, by order, remove the Vice – Chancellor.

- (7) When any temporary vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or other cause, the Chancellor shall make such arrangements for carrying on the duties of the Vice-Chancellor firstly for six months but not more than two times. Regular Vice-Chancellor shall be appointed within said interim period;
- (8) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

Provided that the emoluments and other conditions of services of Vice-Chancellor shall not be varied to his disadvantage during the term of his office.

11. Powers and duties of the Vice-Chancellor .- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University. He shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University. He shall exercise all powers necessary for the due maintenance of discipline in the University.

- (2) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority, the action taken by him on such matter;

Provided that, if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

- (3) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Act .
- (4) The Vice-Chancellor shall convene meetings of the Executive Council, and the Academic Council and he may by order in writing, delegate the power of

- convening any of the said meetings to any of the officer of the University. He shall be the ex-officio Chairman of the Academic Council and Finance Committee and preside over the committee in the absence of the Chancellor.
- (5) The Vice-Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act, Regulations and rules.
 - (6) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimate and the annual accounts and balance sheet to the Executive Committee.
 - (7) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the University and for close co-ordination and integration of teaching, research and dissemination of knowledge.
 - (8) The Vice –Chancellor shall be the principal academic officer of the University and Colleges:
 - (9) The Vice-Chancellor shall give effect to the decisions of the authorities of the University;
 - (10) The Vice-Chancellor shall in the absence of the Chancellor, preside at the convocation of the University;
 - (11) The Vice-Chancellor shall be responsible for the maintenance of discipline in the University;
 - (12) The Vice-Chancellor shall be responsible for holding and conducting the entrance and University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on due dates.
 - (13) The Vice –Chancellor shall be ex-officio member and Chairman of the Executive Council, the academic Council and the finance Committee.
 - (14) The Vice –Chancellor shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

- (15) It shall be the duty of the Vice –Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act and regulations and he shall, without prejudice of the powers of the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.
- (16) The Vice –Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.

Provided that he may delegate such power to any other officer of the University.

- (17) Where any matter is of urgent nature requiring immediate Action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act on deal with it, the Vice –Chancellor may take such Action as he may deem fit and shall forthwith report the Action taken by him to the chancellor and also the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with that matter.

Provided that no such Action shall be taken by the Vice –Chancellor without the previous approval of the chancellor, if it involves a deviation from the provision of the regulations.

Provided further that if the officer, authority or other body is of the opinion that such Action ought not to have been taken, it may refer to the matter to the chancellor who may either confirm the Action taken by the Vice –Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice –Chancellor.

Provided also that any person in the services of the university who is aggrieved by the Ordinanc or decision taken by the Vice –Chancellor

under this sub section, shall have the right to appeal against such Act or decision of the Executive Council within three months from the date on which decision on such Action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the Act or decision taken by the Vice –Chancellor.

Any person aggrieved by the decision of executive council , may appeal before the Chancellor and decision of the Chancellor shall be final.

(18) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice –Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

(19) The Vice –Chancellor shall exercise such others powers as may be laid down by the regulations

12. The Registrar :- (1) The Registrar shall be a full time officer of the University and shall be appointed by the State Government. The qualifications of the Registrar shall be such as may be prescribed by the State Government.

(2) The selection committee shall consist of following members :-

- a) Principal Secretary/Secretary of the State Government – Chairperson,
- b) Vice Chancellor of the University – Member,
- c) Director Medical Education – Member.

(3) The salary and allowance and other condition of the service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the UGC/State Government.

(4) He shall perform such other duties as may be prescribed by the Act and Rules as required from time to time by the State Government or the Vice-Chancellor.

(5) The Registrar shall be a full-time chief executive officer of the University. He will exercise powers as laid down by the government from time to time.

(6) The selection process of the Registrar shall be such as may be prescribed by the State Government.

(7) The registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

- (8) The registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council/Academic Council/Finance Committee/any other committee and shall be bound to place before the Executive Council all such information as may be necessary for the trans Action of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed or required from time to time, by the Executive Council or the Vice –Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.
- (9) The Registrar shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.
- (10) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
- (11) Other powers and functions of the Registrar shall be such as may be prescribed by the Regulations.
- 13. The Controller of Examinations:-** (1) The Examination controller shall be a full time officer of the University and shall be appointed by the State Government. The qualifications of the Examination controller and selection process of the Examination controller shall be such as may be prescribed by the State Government.
- (2) The selection committee shall consist of following members :-
- a) Principal Secretary/Secretary of the State Government – Chairperson,
 - b) Vice Chancellor of the University – Member,
 - c) Director Medical Education – Member.
- (3) He shall be in charge of the conduct of examinations in the University and matters relating thereto and shall perform such other duties as may be prescribed by the Government or as may be directed by the Vice-Chancellor.
- (4) The salary and allowances and other conditions of service of the Examination Controller shall be such as may be prescribed by the State Government.

- (5) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the examination Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary of transAction of his business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Regulations or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote. He may require, from any college, the production of such return or this furnishing of such information as may be necessary for it discharge of his duties.
 - (6) Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor, Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him.
 - (7) Subject to the superintendence of the Examinations Committee, the Controller of Examinations shall conduct the entrance and university examinations as make all other arrangements therefore and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.
 - (8) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall accept any remuneration for any work in the University except in accordance with the order of the state Government.
 - (9) While the Controller of Examinations is for any reason unable to Act or the office of Controller of Examinations is vacant, all duties of the office shall be performed by Registrar, until the Controller of Examinations resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.
- 14. The Finance Officer .-** (1) The Finance Officer shall be a full time officer of the University and shall be appointed among the officers from the State Government, by the Government.
- (2) The salary and allowances and other conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Government.
 - (3) He shall manage the property and investments by the University. He shall advise the Vice-Chancellor in all matters pertaining to financial policy. He shall be responsible for the proper maintenance of accounts of the University, including

the preparation of the annual financial estimates and annual accounts and the balance sheet.

- (4) He shall ensure that no expenditure not authorised in the financial estimates as approved by the Government is incurred by the University and he shall not allow any expenditure which is not sanctioned by the competent authority.
- (5) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of the accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.
- (6) The Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.
- (7) The Finance Officer shall have the following duties:-
 - a) To ensure that no expenditure, not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment;
 - b) to disallow proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Regulations;
 - c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;
 - d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

15. Other officers and staff .- The manner of appointment, the powers and duties and the conditions of service of other officers/faculty and ministerial staff of the University/campus college/constituent college referred to in clause (vi) of section 8 shall be such as may be prescribed by the Government,

Except as otherwise provided in this Act , the mode of appointment, terms and conditions of service and the powers and duties of the officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Finance Officer and the Registrar shall be such as may be described.

16. Officers of University not to accept any remuneration other than that provided by Government.- The officers of the University shall not be offered nor shall they accept any remuneration for any work in the University save as may be provided by the Government or other orders regulating their salaries, allowances and other conditions of service.

CHAPTER IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

17. Authorities of the University.- The following shall be the Authorities of the University namely:-

- (i) The Executive Council;
- (ii) The Academic Council;
- (iii) The Finance Committee;
- (iv) The Examination Committee; and
- (v) Such other bodies as may be declared by the Government to be the Authorities of the University.
- (vi) Such other authorities as may be declared by the Regulation to be authorities of the University.

18. The Executive Council .- (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
- (b) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Medical Education Department or his nominee.
- (c) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Health Department or his nominee.
- (d) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Finance Department or his nominee.
- (e) The Secretary to Government incharge of Higher Education, or his nominee not below the rank of Additional Secretary to Government
- (f) Vice-Chancellor Kumaon University, Nainital;

- (g) Vice-Chancellor KGMU, Lucknow or his nominee.
 - (h) Chairman, Medical Council of India or his nominee;
 - (i) Two reputed industrialists nominated by the Chancellor on the advice of the Vice-Chancellor;
 - (j) Two eminent medical professionals nominated by the Chancellor on the advice of the Vice-Chancellor;
 - (k) Two Principals of colleges, by rotation, nominated by the Vice-Chancellor.
 - (l) Two eminent persons nominated by Chief Minister from the field of medical education.
 - (m) Chairman, Indian Nursing Council or his nominee;
 - (n) Chairman, Dental Council of India or his nominee;
 - (o) Chairman, Paramedical Council of Uttarakhand or his nominee
 - (p) The Director of Medical Education;
 - (q) The Director General of Health and Family Welfare;
 - (r) Two persons nominated by the Chancellor from amongst persons having special interest in health sciences out of whom one shall be person belonging to the Scheduled Castes and one belonging to the Scheduled Tribes, of whom one shall be a woman;
- (2) Notwithstanding anything in subsection (1), no person shall be appointed as a member of the Executive Council unless he is a post graduate.
- (3) The term of office of members mentioned in clause (h),(i),(j) (k),(l) and (r) shall be two years.
- (4) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Executive Council if he or his relative, accepts remuneration for any work in or for, the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University;

Explanation: In this sub-section "relative" mean the relations defined in section (6) of the Companies Act ,1956 and includes the wife's (or husband's) father, wife's (or husband's sister) , brother's son and brother's daughter.

19. Meetings of the Executive Council .- (1) A meeting of the Executive Council shall be held at least twice a year on dates to be fixed by the Vice-Chancellor, one of such meetings shall be the annual meeting.

- (2) A report on the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the financial estimates and the last audit report shall be presented for the consideration of the Executive Council at the annual meeting of the Executive Council convened under sub-section (1).
- (3) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition in writing signed by not less than ten members of the Executive Council, convene a special meeting of the Executive Council.

20. Powers and functions of the Executive Council .-

- (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University and save as otherwise expressly provided in this Act the Executive Council shall have the following powers, namely:-
 - (i) The Executive Council shall have power to review from time to time the policies of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University and to consider and pass resolutions on the annual accounts and audit reports of the University.
 - (ii) to institute and confer degrees, diplomas and other academic distinctions;
 - (iii) to confer, honorary degrees or other academic distinctions;
 - (iv) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred by the Government, Act s and Rules.
 - (v) to supervise and control the affairs of the University;
 - (vi) to hold and control the property and funds of the University;
 - (vii) to approve academic programmes;
 - (viii) to make, amend or repeal Regulations;

- (ix) to prepare the budget of the University;
- (x) to administer any funds placed at the disposal of the University;
- (xi) to acquire or transfer any movable, immovable or intellectual property of the University after approval from the Government;
- (xii) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (xiii) to appoint such committees as may be required for the efficient functioning of the University;
- (xiv) to determine the emoluments and terms and conditions of service of the staff of the University in the accordance with the Government Policy;
- (xv) to authorize operation of bank accounts of the University;
- (xvi) to regulations and determine all other matters concerning the University in accordance with this Act or the Regulations.

(2) Every meeting of the Executive Council shall be held on such date, time and place as may be fixed by the Vice-Chancellor.

(3) The members of the Executive Council shall be entitled to such allowance as may be prescribed.

(4) No immovable property of the University shall except with the prior sanction of the state Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the state Government from any other person.

(5) The Executive Council shall not exceed the limits or recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

(6) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Regulations, delegate such of its powers as, it deems fit, to an officer or any other Authority of the University or Committee appointed by it.

21. The Academic Council .- (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the

Regulations, have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction, education and examinations in the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the regulations and may advise the Executive Council on all academic matters,

(2) The academic Council shall consist of the following members namely:-

(a). The Vice-Chancellor

Chairman

(b). Director, Medical Education

Member

(c). Two such Principals of colleges who are

noted members of the Executive Council

Member

(d). One Head of the Department of the of Doon

University, nominated by the Vice-Chancellor

of that university

Member

(3) The term of office of the members referred to in clause (c) of sub-section (2) shall be one year.

22. The Finance Committee .-

(1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:

(a). The Vice-Chancellor

Chairman

(b). The Principal Secretary/ Secretary to the State

Government in the Medical Education Departments or his nominee not below the rank of additional secretary ;

Member

(c). The Principal Secretary/Secretary to the state Government in the Finance Department or his nominee not below the rank of additional secretary ;

Member

(d). Two members of the Executive Council nominated
by the Vice-Chancellor; and Member

(e). The Finance Officer **Member**

- (2) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.
- (3) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Regulations.
- (4) Unless a proposal having financial implications has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendation of the Finance Committee, it shall refer the proposal back of the Finance Committee the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

23. Examination committee.

- (1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the regulations or constituted by Vice-Chancellor .
- (2) The Committee shall supervise generally all the examination of the University, including Entrance tests of all courses and perform the following functions, namely:-
 - (a) to appoint examiners and moderators and if necessary, to remove them;
 - (b) to review from time to time the results of the University examinations and submission of reports, thereon to the Academic Council;
 - (c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;

(d) to scrutinize the list of examiners proposed by the board of Studies, finalize the same and declare the result of the University.

(e) moderation and tabulation.

(3) The Examination Committee may appoint such number of sub-committee as it thinks fit, and in particular; may delegate to any one or more persons or sub-committee. The power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

(4) Entrance test for MBBS, BDS, MDS, MD, MS, courses related to Nursing and Paramedical Sciences, and other courses shall be conducted as per the directions given by the Government from time to time;

(5) Notwithstanding anything contained in this Act it shall be lawful for the Examination Committee or as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examination Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3), to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

(6) Subject to the provision of this Act and the Regulation, the Examination Committee may issue such directions as it considers necessary for making arrangements for conducting the examinations.

24. The Faculties .- The Faculties of the University and their composition shall be such as may be prescribed by the Government.

25. Other Authority- The Constitution, powers and duties of other Authorities of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER V

REGULATIONS

26. Regulation - (1) Subject to the provisions of this Act , the Government may frame regulations for the following matters,

Provided, first regulations shall be notified in Gazette and power to make further regulations/rules, amendments and deletion shall be vested in executive council;

- (a) the constitution, functions and powers of the authorities of the University and such other bodies as may be declared to be authorities of the University from time to time;
 - (b) the election and continuance in office of the members of the said authorities or bodies and filling up of vacancies of members and all other matters relating to these authorities or bodies;
 - (c) the conferment of honorary degrees;
 - (d) holding of convocations for conferring degrees;
 - (e) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
 - (f) the establishment, maintenance and abolition of Faculties departments, hostels, colleges and institutions;
 - (g) the conditions of affiliation of colleges, and those under which affiliations may be withdrawn;
 - (h) institution of fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes, etc;
 - (i) the procedure of election to the authorities and the procedure to be followed at meetings of authorities, including stipulation of quorum for transAction of business, where such stipulations are not already made in this Act ;
 - (j) the classification of teachers of the University and in affiliated colleges;
 - (k) acceptance and management of the bequests, donations and endowments;
 - (l) registration of graduates and maintenance of a register of registered Graduates of different classes;
 - (m) all other matters, in which under this Act , Government are required to be made.
- (2) The Government shall provide that certain posts in the University shall be reserved for those belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in accordance with State policy from time to time.
- (3) Every new Regulation or addition to the Regulations or any amendment or repeal of a Regulation shall require the approval of the Chancellor, who may

assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for consideration.

- (4) A new Regulations or a Regulation amending or repealing an existing Regulation shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.

27. Rules - (1) The Government/executive council may make Rules consistent with this Act /councils and the Act s in respect of matters which are within its powers.

(2) The Rules may provide for -

- (a) suitable recruitment procedure both for teaching and non-teaching posts;
- (b) conduct of university employees and disciplinary procedure to be followed in case of misconduct and other lapses in the discharge of their duties;
- (c) giving of notice to the members of each authority of the dates of the meetings and of the business to be transActed at the meeting and also for keeping the record of the proceedings of the meeting;
- (d) the procedure to be followed at the meetings; and
- (e) all matters concerning such Authority and not provided for by this Act , the Government, or the Acts.

(3) Every new Rules or addition to the Rules or any amendment or repeal of a Rule shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for consideration.

(4) A new Rule or a Rule amending or repealing an existing statute shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.

(5) Every Rule made under this section shall come into force on the date specified by the Government. It shall also be published in the Official Gazette.

CHAPTER VI
FINANCE AND ACCOUNTS

28. General funds - The University shall have a general fund to which shall be credited,-

- (a) its income from fees, endowments and grants, if any;
- (b) contributions or grants from the State Government on such conditions as may be imposed;
- (c) grants from the Central Government, the University Grants Commission, International Donor Agencies like the World Health Organisation, UNICEF, etc.

29. Other funds - The University may have such other funds as may be prescribed by the Government.

30. Power to borrow - The University may, for any of the purposes prescribed by the Government, borrow money from a bank or a corporation. Where the total amount borrowed exceeds rupees five crore prior approval of the Government shall be obtained for such borrowing.

31. Management of funds - All the funds of the University shall be managed in such manner as may be prescribed by the Government.

32. Power of Government to direct audit - The Government shall have power whenever deemed necessary to order the audit of the accounts of the University by such auditors as it may direct.

33. Financial estimates.- (1) The Vice-Chancellor shall cause to be prepared on or before such date as may be prescribed the financial estimates of the University for the ensuing year and submit the same to the Government for approval.

(2) The Government may approve the financial estimates with such modifications as it deems fit, and no expenditure shall be incurred except in accordance with the financial estimates as approved by the Government.

34. Annual accounts and audit - (1) The annual accounts of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and a copy shall be sent to the Government.

- (2) The accounts of the University shall, once at least in a year at intervals of not more than fifteen months be audited by the Controller of State Accounts.
- (3) The audited accounts of the University together with the auditor's report shall be published by the Government in the Official Gazette and copies thereof shall be placed before the Executive Council.
- (4) The annual accounts shall be considered by the Executive Council at its annual meeting. The Executive Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Government. The Government shall take the suggestions made by the Executive Council into consideration and take any Act ion thereon as it thinks fit. The Government shall inform the Executive Council at its next meeting of the Act ion taken by it or of the reasons for not taking Act ion.

35. Annual report - (1) The University shall prepare the annual report containing such particulars as the Government may specify, covering each financial year and submit it to the Executive Council on or before such dates as may be prescribed by the Government. The Executive Council may pass resolutions thereon and the Government shall take Action in accordance therewith. The Action taken shall be intimated to the Executive Council.

- (2) Copies of the annual report along with the resolution of the Executive Council thereon shall be sent to the Government and shall be laid before the State assembly.

CHAPTER VII

AFFILIATION OF COLLEGES AND RECOGNITION OF INSTITUTIONS

36. Affiliation of colleges - (1) Colleges within the University Area may, on satisfying the conditions specified in this section, be affiliated to the University as affiliated colleges by the University with prior approval of the Chancellor on the recommendations made by the Executive Council and norms fixed by the respective councils i.e. MCI/DCI/INC/UPC etc.

- (2) A college applying for affiliation to the University shall send an application to the Registrar within the time limit fixed by the University and shall satisfy the Academic Council,-
- (a) that it will supply a need in the locality, having regard to the type of education intended to be provided by the college, the existing provision in the neighborhoods and the suitability of the locality where the college is to be established;
 - (b) that it is to be under the management of a regularly constituted governing body;
 - (c) that the strength and qualifications of the teaching staff and the conditions governing their tenure of office are such as to make due provision for the courses of instruction, teaching or training to be undertaken by the college;
 - (d) that the building in which the college is to be located are suitable and that provision will be made in conformity with the provisions for the residence in the college or in lodging approved by the college, for students not residing with their parents or guardians and for the supervision and welfare of students;
 - (e) that due provision has been made or will be made for a library;
 - (f) where affiliation is sought in any branch of experimental science, that arrangements have been or will be made in conformity with the Government, and Rules for imparting instruction in the branch of science in a properly equipped laboratory or museum;
 - (g) That due provision will, as far as circumstances may permit, be made for the residence of the Principal and members of the teaching staff in or near the college or the place provided for the residence of students;
 - (h) that the financial resources of the college are such as to make due provision for its continued maintenance and efficient working; and
 - (i) that rules fixing the fees, if any, to be paid by the students have been framed as per norms fixed by the committee constituted for this purpose .
- (3) The application shall further contain an assurance that after the college is affiliated, any transference of management and all changes in the teaching staff and all other changes which result in any of the aforesaid requirements, not

being fulfilled or continued to be fulfilled, shall be forthwith reported to the Government and or such authority as the Government may specify.

The Registrar shall forward all such applications to the Government with inspection reports for further and necessary action.

- (4) On receipt of a letter of application under sub-section (2), the Government shall,-
- (a) direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by the Government in this behalf in respect of such matters as may be deemed necessary and relevant;
 - (b) make such further inquiry as may appear to it to be necessary; and
 - (c) record its opinion after consulting the Academic Council on the question whether the application should be granted or refused,
- either in whole or in part, stating the result of any inquiry under clauses (a) and (b).
- (5) The schedule and procedure for affiliation and the fees etc shall be notified by the Government from time to time.
- (6) The Registrar shall within such time as the Government may from time to time specify submit application and all proceedings, if any, of the Academic Council and send to the Government which, after such inquiry as may appear to it to be necessary, shall make their recommendations for the grant of the application or any part thereof or refuse the application or any part thereof and the University shall issue orders accordingly.
- (7) Where the affiliation or any part thereof is granted, the order of the University shall specify the courses of instruction in respect of which and the period for which the college is affiliated, and where the application or any part thereof is refused by the Government or the University, the grounds of such refusal shall be stated;

Provided that on the recommendation of the Government, permanent affiliation may be granted to a college which was affiliated continuously for a period not less than five years and fulfill all the conditions of affiliation and attained the academic and administrative standards prescribed by the University from time to time.

- (8) As soon as possible after the Government or the University makes its order, the Registrar shall submit to the Executive Council a full report regarding the

application, the Action taken thereon under sub-sections (4) and (6) and of all proceedings connected therewith.

- (9) An application under sub-section (1) may be withdrawn at any time before an order is made under sub-section (5).
- (10) Where a college desires to add to the courses of instruction in respect of which it is affiliated, the procedure prescribed by sub-sections (2) to (8) shall, so far as may be, followed.
- (11)(a) No admission of students shall be made by any new college seeking affiliation to the University or by an existing college seeking affiliation to a new course of study to such course, unless, as the case may be, affiliation has been granted to such new college or to the existing college in respect of such courses of study.
- (b) The maximum number of students to be admitted to a course of study shall not exceed the intake fixed by the University or the Government, as the case may be, and any admission made in excess of the intake shall be invalid;
- (c) No student whose admission has become invalid under clause (b) shall be eligible to appear nor shall be presented by the college to appear at any examination conducted by the University.

37. Recognition of certain institutions - (1) Any institution situated within or outside the University Area other than a college which conduct research or specified studies, may be recognised by the Government as the recognised institution for such purpose and in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Government.

- (2) Any such recognition may be withdrawn either in whole or in part or modified in such manner and for such reasons as may be prescribed by the Government.

38. Inspection of colleges and reports - (1) Every affiliated college shall furnish to the Registrar such reports, returns and other information, as the Academic Council may require to enable it to judge the efficiency of the college or institution.

- (2) The Government shall cause every such college to be inspected from time to time by one or more competent persons authorised by it in this behalf.

- (3) The Government may call upon any college so inspected to take, within a specified period, such Action as may appear to it to be necessary in respect of any of the matters referred to in sub-section (2) of section 45.

39. Withdrawal of affiliation - (1) The rights conferred on a college by affiliation may be withdrawn in whole or in part or modified with the prior approval of the Chancellor on the recommendation of the executive council if the college has failed to comply with any of the provisions of sub-section (2) of section 45 or the college has failed to observe any of the conditions of its affiliation or the college is conducted in a manner which is prejudicial to the interest of education.

- (2) A motion for the withdrawal or the modifications of such rights shall be initiated only in the Executive Council. The member of the Executive Council who intends to move such a motion shall give notice of it and shall state in writing the grounds on which it is made.
- (3) Before taking the said motion into consideration the Executive Council shall send a copy of the notice and written statement mentioned in sub-section (2) to the Principal of the college concerned together with an intimation that any representation in writing submitted within a period specified in such intimation on behalf of the college will be considered by the Executive Council.

Provided that the period so specified may, if necessary be extended by the Executive Council.

- (4) On receipt of the representation or on the expiry of the period referred to in sub-section (3), the Executive Council after considering the notice of motion, statement and representation and after such inspection by any competent person or persons authorised by it in this behalf and such further inquiry as may appear to it to be necessary and after consulting the Academic Council shall make a report to the Government.
- (5) On receipt of the report under sub-section (4) the Executive Council shall, after such further inquiry, if any, as may appear to it to be necessary record its opinion in the matter:

Provided that no resolution of Executive Council recommending the withdrawal of affiliation shall be deemed to have been passed by it unless the

resolution has obtained the support of two-thirds of the members present at a meeting of the Executive Council, such majority comprising not less than one-half the members of the Executive Council.

- (6) The Registrar shall submit the proposal and all proceedings, if any, of the Academic Council and the Executive Council relating thereto to the Government which after such inquiry, if any, as may appear to it to be necessary, shall make, their recommendations to the University which shall thereafter make such order, as it deems fit.
- (7) Where by an order made under sub-section (6), the rights conferred by affiliation are withdrawn in whole or in part or modified, the grounds for such withdrawal or modification shall be stated in the order.

CHAPTER VIII

GENERAL

40. Vacating of office .- (1) Any member other than an ex-officio member of any authority or body of the University may resign his office by a letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect on receipt of the letter by the Registrar.

(2) A person who is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as the holder of a particular appointment shall hold office so long only as he continues to be a member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be.

(3) A member of any authority or body of the University shall cease to be a member on his being convicted by a court of law for any offence which involves moral turpitude.

41. Filling of casual vacancies .- All casual vacancies amongst the members other than ex-officio members of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be by the person or body who or which nominated the member whose place has become vacant and the persons nominated to a casual vacancy shall be member of such authority or body for the residue of the term for which the person in whose place he is nominated would have been a member:

Provided that no casual vacancy shall be filled, if such vacancy occurs within six months before the date of the expiry of the term of the members of any authority or other body of the University.

42. Protection of Action taken in good faith .- No suit or other legal proceedings shall lie against any employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act , the Government or Acts or Rules made thereunder.

43. Proceedings of the University authorities not invalidated by vacancies .- No Act or proceeding of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or of any defect or irregularity in the election, or appointment of a member of any authority or other body of the University or any defect or irregularity in such Act or proceeding not affecting the merits of the case.

44. Disputes as to constitution of University authorities and bodies - If any question arises whether any person has been duly elected or nominated as, or is entitled to be, a member of any authority of the University or other body of the University, the question shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

45. Transitory powers of the first Vice-Chancellor - (1) It shall be the duty of the first Vice-Chancellor to make arrangements for constituting the Councils and other Authorities of the University within six months from the date of commencement of this Act or such longer period not exceeding one year as the Government may; by notification, direct.

(2) The first Vice-Chancellor shall, in consultation with the Chancellor, make such rules as may be necessary for the functioning of the University.

(3) It shall be the duty of the first Vice-Chancellor to draft such Government as may be immediately necessary and submit them to the Competent Authority for approval.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act and until such time an authority is duly constituted under the Act, the first Vice-Chancellor may appoint any

officer or constitute any committee temporarily to exercise and perform any of the powers and duties of such authority under this Act .

46. Vice-Chancellor and other officers etc., to be public servants - The Vice-Chancellor, Registrar, Finance Officer and other employees of the University shall be deemed, when Acting or purporting to Act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act XLV of 1860).

47. Continuance of Rules etc - Until Rules are made under appropriate provisions of this Act Regulations and rules which were made under the State of Uttarakhand in this matter and in force immediately before the commencement of this Act shall, subject to such adaptations or modifications as may be made therein by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor obtained through the Government, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act be deemed to be Government, Acts, Regulations and Rules made under the appropriate provisions of this Act .

48. Saving as to certain examinations - (1) Notwithstanding anything contained in this Act, or the Rules,-

(a) any student who immediately prior to the commencement of this Act was studying for a degree in health science of the Kumaon University, the Garhwal University or in any other University of the State, in accordance with the Regulations in force under those Acts, may until such examinations is provided by the University, be admitted to the examinations of the Universities of Kumaon and Garhwal and other concerned University of the State and be conferred the degree in Medical Sciences of the inter universities for which he qualifies on the result of such examination.

(b) If the Kumaon University, the Garhwal University and other university has held any examination the result of which has been published but the degrees relating thereto have not been conferred or issued or the result of any such examination has not been published by the said University, then such examination shall be deemed to have been held by the Kumaon University the Garhwal University and other concerned University of the State .

49. Act to prevail over the enActments - This Act and any Rules made under this Act shall in respect of any college in the University Area have effect notwithstanding

anything inconsistent therewith contained in any other enActment with respect to matters enumerated in List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

50. Removal of difficulty - (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act , the Government may, by executive order within three years from commencement of this Act , do anything which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty.

(2) No order made under sub-section (1) shall be questioned in any court of law on the ground that no difficulty as is referred to in the said sub-section existed or was required to be removed.

(3) Every order published under this section shall, as soon as may be after its publication, be laid before the State Legislature.

51. Repeal and Saving- (1) The Hemwàti Nandan Bahuguna Affiliating University of Medical Education Ordinance, 2013 is here by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

K.D. BHATT,
Principal Secretary.